हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 मार्च, 2000 (द्वितीय बैठक)

खण्ड–1 अंक–2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 9 मार्च, 2000

पृश्ठ संख्या

राज्यपाल का अभिाशण (सदन की मेज पर रखी)	(1)2
अध्यक्ष द्वारा सदन की मेज पर रखा गया कागज–पत्र	(1)23
घोशणाएं–	

(क) अध्यक्ष द्वारा–	
चेयरपर्सनज के नामों की सूची	(2)24
(ख) सचिव द्वारा–	
राश्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी	(2)24
भाोक प्रस्ताव	(2)25
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	
(i) नियम 30 के निलम्बन सम्बन्धी	(2)37
(ii) नियम 231, 233, 235 और 270 के निलम्बन सम्बन्धी	(2)39
सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र	(2)41

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 9 मार्च, 2000 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1 चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 4.15 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाशण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker: Injj pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assmbly, I have to report that the Gorernor was pleased to address the Haryana Vidhan Sabha today, the 9th March, 2000 at 2.30 P.M. under Article 176(I) of the Constition of India

A copy of the address is laid on the Table of the House.

माननीय अध्यक्ष महोदय, एवं सदस्यगण,

मै दसवीं हरियाणा विधान सभा के प्रधान सत्र में समस्त सदस्यगण का हार्दिक स्वागत करता हूं चुनावो में आपकी भाानदार सफलता पर मै आपको हार्दिक बधाई देता हूं। हरियाणा की जनता ने इस आ ाा से आप में अपना वि वास व्यक्त किया है कि आप उनकी आ ााओं महत्वाकॉक्षाओं को पूरा करने के लिये कार्य

करेंगे। आपके इस सुभ प्रयास के लिए मैं अपनी सुभकामनायें देता हूं।

दसवीं हरियाणा विधान सभा के हाल ही मैं हुये चुनाव अपनी अनेक विलक्षण वि ोशताओं के लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों मे लिखे जायेगे। राज्य के 50 प्रति ात विधान सभा चुनाव क्षेत्रों में मतदान के लिए प्रथम बार इलैक्ट्रॅानिक मतदान म ीनों का प्रयोग किया गया, परम्परागत मतपत्रों के मुद्रण, उनकी जांच करने, मतपेटियों में डालने के लिए मतपत्रों को जारी करने, मतपेटियों को लाने और मतपत्रों की एक–एक कर गणना करने से पूर्व उनकी सुरक्षा करने तथा श्रम–साध्य और समय नश्ट करने वाली तालिकाबद्ध मतगणना करने की जटिल प्रणाली को तिलॉजलि दे दी गई है। इलैक्ट्रॉनिक मतदान म ीनों के प्रयोग से मतदान तथा मतदान प्रक्रिया में एक क्रान्ति आई है और हरियाणा राज्य के मतदाताओं ने इलैक्ट्रॅानिक मतदान म ीनों का प्रयोग बड़े चाव से किया है। दूसरे, अधिकॉ ा मतदाताओं द्वारा फोटो पहचान–पत्र प्राप्त किये गये है, इन पहचान–पत्रों को वे मतदान केन्द्रों में लाये और उन्होंने अपने मतधिकार का प्रयोग करने के लिये दावा किया। तीसरे, समस्त चुनाव प्राक्रिया सुचारू, कु ालतापूर्वक एवं भाान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई जबकि इसके बिलकुल विपरीत अन्य राज्यों में चुनावों के दौरान काफी हिंसा देखने को मिली। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा हरियाणा की इस उपलब्धि की भूरि–भूरि प्र ांसा की गई है और इसे दे ा के अन्य राज्यों के

लिये एक आद ि चुनाव कहा गया है। मै हरियाणा राज्य की जनता की, नयी सरकार को स्पश्ट जनादे ा (Mandate) देने की दूरदाि ता और बुद्धिमता के आगे नतमस्तक हूं।

मेरी सरकार को हरियाणा की जनता के द्वारा दिये गये ठोस एवं निर्णायक जनादे ा से इस बात की स्पश्ट पुंश्टि होती है कि राज्य की सरकार जिसने सता की बागडोर 24 जुलाई, 1999 को संभाली थी, की नीतियों, कार्यों तथा अनेक साहसी निर्णयों का जनता ने पूरा अनुमोदन किया है। इन निर्णयों में गन्ना उत्पादकों को 110 रूपये प्रति क्विंटल का उच्च प्रोत्साहन मूल्य देना, गन्ना पिराई के गत मौसम में सहकारी चीनी मिलों को सप्लाई किये गये गन्ने की अदायगियों के बकाये की 21 करोड़ रूपये से अधिक की अदायगी की समाप्ति तथा चालू गन्न पिराई मौसम में गन्ने की सप्लाई पर साथ–साथ अदायगी, गन्ने के विकास के लिये निधियों का अधिक आबंटन, यूरिया की बोरी पर 10 रूपये प्रति बोरी तथा डी0 ए0 पी0 खाद की बोरी पर 5 रूपये प्रति बोरी का प्रोत्साहन, उच्चतर फसल ऋणों का वितरण, वृद्धावस्था सम्मान पें ान, विधाव तथा विकलांग पें ान का दुगुना करना, अनुसुचित जातियों की कन्या को अपनी बेटी मान कर 5100 रूपये देने की कन्यादान स्कीम युद्ध स्तर पर सड़को की मरम्मत का बृहद् कार्य आरम्भ करना, माइक्रो ग्रामीण विकास स्कीम क्रै ा कार्यक्रम आरम्भ करना यथा गांवो की गलियों का पक्का करना, विद्यालयो में कमरो, औशधालयो, प ु औशधालयों का निर्माण, जीर्ण– ीर्ण हरिजन

एवं पिछड़े वर्ग की चौपलों की मरम्मत तथा गांवों के पोखरों आदि की वि ोश मरम्मत भाामिल है, इन सभी कार्यों की जानकारी स्वयं मुख्य मंत्री द्वारा आरम्भ किये गये नये कार्यक्रम सरकार आपके द्वारा के दौरान मिली। उतरी क्षेत्र में सिंतम्बर, 1999 से जनवरी, 2000 में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति के कारण हुई बिजली की कमी पर पूरी ताकत लगाना, चुंगी समाप्त करना, फालतू घोशित कर्मचारियों को सरकारी सेवा से समायोजित करना, मार्किट भाुल्क को दो प्रति ात से कम कर के एक प्रति ात करना और दो प्रति ात ग्रामीण विकास उपकर की समाप्ति जिससे किसानों पर बोझ चार प्रति ात से कम हो कर एक प्रति ात रह जायेगा, राज्य की विभीन्न मण्डियों में खुली बोली द्वारा प्लाटों की नीलामी की वर्तमान नीति की बजाय द्वितीय वर्ग के लाइसेंस–धारक आढ़तियों को अधिमान्यता मूल्य पर दुकानों के प्लाटों के नियतन की नीति आरम्भ करना, नयी विकसित मंडियों में लाईसेंस प्राप्त आढ़तियों को प्लाटों की युक्ति–युक्त अलॉअमैंट, बिक्रीकर नियमों का सरलीकरण, व्यापारियों तथा दुकानदारों के लिये स्वयं कर निर्धारण स्कीम को लागू करना नयी औद्योगिक नीति का आरम्भ करना तथा औद्योगिक प्लाटों के नियतन तथा अन्तरण सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों का सरलीकरण और इसी प्रकार हरियाणा भाहरी विकास प्रधिकरण द्वारा आवासी प्लाटों के नियतन तथा अन्तरण संबधी नियमों का सरलीकरण, किसानों और कर्मचारियों के विरूद्ध बनाये गये क्रूर आपराधिक मामलों की वापसी, 7 करोड़ रूपये की सरकारी अनुदान की संस्वीकृति कर

महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय का पुनरूद्धार, अध्यापकों के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार रा ि । को दुगुना करना, कारगिल तथा मातृभूमि की रक्षा करते हुये किसी अन्य स्थान पर अपने जीवन की आहूति देने वाले राज्य के भाहीदो हेतु अनुग्रह रा ि । को दुगुनी कर 10 लाख रूपये करना तथा युद्ध के दौरान जख्मी सैनिको को दी जाने वाली रा ि । 3 लाख रूपये से बढ़ा कर 6 लाख रूपये करना और भाहीदों के ओहदे की ओर ध्यान दिये बिना यह रा ि । देना तथा भाोकाकुल परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्तानुसार रोजगार प्रदान करना, न ााबंदी के दौरान पंजीकृत 48664 आपराधिक मामलों को वापस लेना ताकि ऐसे युवाओं का नया जीवन आरम्भ करने का अवसर प्रदान किया जा सके तथा ऐसे बहुत से अन्य निर्णय भाामिल है। मेरी सरकार द्वारा वि ोशरूप से ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित ि ाक्षित बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकारी सेवा में प्रवे । की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्श के स्थान पर 40 वर्श कर दी गई है। नागरिकों की हितैशी सरकार चलाना एक अच्छा परिवर्तन है और स्पश्ट रूप से जनता द्वारा इस सरकार की सरहना की गई है। मेरी सरकार जनता के ठोस समर्थन और स्पश्ट जनादे । (Mandate) देने के लिये जनता का धन्यवाद करती है।

धर्मक्षेत्र कुरूक्षेत्र की पावन धरती पर नयी सरकार द्वारा संविधान की मर्यादाओं को बनाये रखने तथा राज्य की समस्त

जनता के कल्याण तथा समृद्धि के लिये कार्य करने की भापथ ली गई है। मेरी सरकार द्वारा चहूंमुखी विकास के लिये राज्य अवस्थापना (Infrastructure) के पुनः निर्माण के लिये नीति तैयार की गई है। इस नीति के अधीन विना ाकारी बाढ़ की पुनरावृति को रोकने के उपाय, भ्रश्टाचार, जो राज्य में चारों और कैंसर की भांति फैल रहा है और इसके महत्वपूर्ण स्त्रोतों को नश्ट किये जा रहा है, पर काबू पाने के लिये सातर्कता, चातुर्य तथा तल्लीनता से कानून और व्यवस्था की स्थापना तथा हरियाणा का अभूतपूर्व विकास करते हुये क्रान्ति के युग में लाकर हरियाणा को संघ के समस्त राज्यों में एक आद ा राज्य बनाया जायेगा।

माननीय सदस्यगण, हरियाणा, चौधरी देवी लाल जी का स्वप्न ि ा ु है। हरियाणा राज्य उन्हीं की दूरद िता तथा प्रयासों के कारण अस्तिव में आया। मेरी सरकार उनके चहुँमुखी विकास द ान को कार्यरूप प्रदान करना चाहेगी। दुर्भाग्यव ा, भााह आयोग की सिफारि ों से विचलित होते हुये हरियाणा के गठन के समय इसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया। भााह आयोग द्वारा सिफारि ा की गई थी कि चण्डीगढ़ परियोजना सहित खरड़ तहसील को हिन्दी भाशी राज्य हरियाणा का हिस्सा बनाया जाये, क्योंकि मुख्यतया खरड़ तहसील की कुल जनसंख्या का 71.3 प्रति ात तक जनता हिन्दी भाशी पाई गई थी। फाजिल्का तथा अबोहर तहसीलों के हिन्दी भाशी क्षेत्रों को हरियाणा में मिलाने से इन्कार कर दिया गया। जब कभी इस

उचित मांग के उठाया जाता है, इस मुदे पर काफी विवाद होता है। मेरी सरकार, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों तथा इनकी सरकारों के बीच व्याप्त सौहार्द तथा भ्रातृभाव से इस मुदे को हल करना चाहती है। इसी प्रकार जल तथा बिजली के महत्वपूर्ण मामले में हरियाणा को इसका देय हिस्सा नही मिला है। इराडी आयोग द्वारा, वर्शों के चिन्तन एवं सावधानी पूर्वक जांच के प चात् मामले में अपनी सिफारि ों की गई है। मेरी सरकारों द्वारा भारत सरकार से आग्रह किया जाता है कि वह इराडी आयोग की रिपोर्ट का भीघ्र कार्यन्वयन करवाये तथा बिना समय नश्ट किये परियोजना का भोश कार्य किसी केन्द्रीय एजेन्सी के माध्यम से पूर्ण करवाते हुये सतलुज–यमुना नहर को चालू करवाने हेतु प्रभावी उपाय करे।

माननीय सदस्यगण, वर्श 2000 मानवता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसी वर्श सन् 1000 से आरम्भ होने वाली सहसाब्दी सम्पन्न होती है तथा नयी सहस्त्राबदी के आगमन के लिये स्वागत द्वारा खुलता है। यह 21वी भाताब्दी का ध्वजारोहण तथा उद्धोशणा करता है और हमारे दे ाके करोड़ो लोगों के ह्दय में बेहतर जीवन के भाुरूआत की आ ा की ज्योति को प्रज्वलित करता है। वि व स्तर पर उदारीकरण की लहर चल रही है, दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई क्रान्ति से व्यापार तथा वाणिज्य के परम्परागत साधनों से सम्पूर्ण परिवर्तन आ रहा है व दे ाों–राज्यों के इर्द–गिर्द बनाई गई आवरोधक दीवारों तेजी से समाप्त हो रही है। इससे वास्तव में समस्त वि व सिकुड

कर एक वि वग्राम बनता जा रहा है। मानव ह्दय में आ ा की लहर हिलौरे ले रही है और वि ोश रूप से युवा ाक्ति में जो ा उमड़ रहा है।

आर्थिक एवं औद्योगिक विकास

मेरी सरकार वि व के इस परिवर्तन ील वातावरण की चुनौतियों और खुलते अवसरों के प्रति पूर्णतया जागरूक है। इसका युवा भाक्ति को रचनात्मक एवं उत्पदान ील कार्यों में भाामिल करने तथा उनी क्षमता–निर्माण की समस्या का समाधान करने तथा उद्यमों में उनकी कार्यकु ालता को विकसित करने का प्रस्ताव है। मेरी सरकार द्वारा हरियाणा को दे ी तथा विदे ी उद्यमकर्ताओं हेतु एक सर्वोतम लक्ष्य स्थान बनाने के लिये भरसक प्रयास किये जायेंगे और अन्तर्राश्ट्रीय मानको की बुनियादी अवस्थापना (Infrastructure) तैयार करने, गुणवता जागरूक निर्यातोन्मुखी उद्योगों की स्थापना के लिये अन्तर्राश्ट्रिीय पूंजी निवे ा को आकर्शित करने हेतु सुविचारित प्रयास किये जायेंगे। नयी औद्योगिक नीति को और परिमार्जित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार द्वारा यह नीति गत वर्श नवम्बर में प्रारम्भ की गई थी, ताकि नये निवे ा प्राप्त किये जा सके, औद्योगिक तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सके तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। हाल ही में गठित अर्थिक विकास बोर्ड इन उदे यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। एकल खिड़की सेवा के माध्यम से जिला स्तर पर स्वीकृति देने की पद्धति को

अधिक स ाक्त व प्रभावी बनाया जायेगा। औद्योगिक इकाइयों के लिये निरीक्षकों के दौरों को न्यूनतम संविधिक आव यकताओं तक कम कर दिया गया है। राज्य द्वारा चुंगी समाप्त करने का क्रान्तिकारी उपाय करके व्यापार और वाणिज्य में आने वाली सभी वास्तविक बाधाओं का समाप्त कर दिया गया है। औद्योगिक निवे ा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक पता लगाया गया है। यह क्षेत्र इस प्रकार से होगेः—

1. कृशि आधारित तथाा खाद्य विधायन उद्योग।

2. इलैक्ट्रॅनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार।

3. आटोमोबाइलस, आटोमोटिव कम्पोनैंटस और हल्के तथा मध्यम इंजीनियरी उद्योग।

4. हथकरघा, हौजरी, कपड़ा तथा वस्त्र निर्माण।

5. निर्यात प्रधान इकाइयॉ।

छोटे तथा माध्यम उद्यमकर्ताओं के लिये एक नवीकरण निधी की स्थापना की जा रही है ताकि उन्हे प्रौद्यगिकी को स्तरोन्नत करने की सुविधा प्रदान की जा सके और वि व स्तर के उच्च कोटि के माल तथा सेवाओं के उत्पादन के लिये उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके।

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक उद्यमों के लिये स्थल के विकास का एक महत्वाकांक्षी

कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित मुख्य औद्योगिक केन्द्रो में ऊंची किस्म की मूलभूत सेवाये मुहैया करवाई जायेंगी। इण्डस्ट्रियल मॉडल टाउनि ाप, मानेसर और बावल तथा अन्य औद्योगिक केन्द्र, उच्चाकोटि की भारतीय और अन्तर्राश्ट्रिय कम्पनियों के आकर्शण स्थान बन रहे हे। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उद्यमियों को आबांटित करने हेतु 4000 एकड़ विकसित भूमि का भूमि बैंक बनाने का प्रस्ताव है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम नये उद्यामों को वितीय सहायता देने के लिये अपनी क्षमता को निरन्तर बढ़ा रहा है।

हरियाणा वित निगम द्वारा स्वीकृतियों तथा ऋण वितरण करने के उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने हुये इस महत्वाकॉक्षी उद्यम में अपना पूर्ण योगदान दिया जायेगां। हरियाणा राज्य लद्यु उद्योग एवं निर्यात निगम दुर्लभ कच्चे माल की सप्लाई करके औद्योगिक इकाइयों की सहायता कर रहा है और हथकरघा एवं हस्ति ाल्प निगम बुनकारों और ि ाल्पियों के उत्पादनों की समुचित बिक्री व्यवस्था करके उनको प्रोत्साहन दे रहा है।

सबके लिये बिजली

आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सुनि चत एवं अच्छी बिजली सप्लाई पर निर्भर करता है। चिरकाल से बिजली की कम सप्लाई से राज्य की अर्थव्यवस्था को अभि ाप सा लग गया है।

मेरी सरकार बिजली के क्षेत्र का सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और राज्य में बिजली की उपलब्धि और गुणवता में सुधार लाने के लिये भरसक प्रयास कर रही है। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि गत सात महीनों में तदनुरूपी अवधि की अपेक्षा औसतन 58 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली सप्लाई की गई जोकि लगभग 16 प्रति ात अधिक है। बिजली उपलभ्यता में नया कीर्तिमान 25 सितम्बर, 1999 को स्थापित किया गया, जब राज्य को 518.40 लाख यूनिट बिजली की रिकार्ड सप्लाई की गई जबकि गत वर्श अधिकतम 458.05 लाख यूनिट बिजली की सप्लाई की गई थी। राज्य में सुधरी बिजली उपलभ्यता के कारण ही भीतकालीन वर्शा बिलकुल न होने के बावजूद सिंचाई की आव यकता को पूरा किया जाना तथा रबी की फसल को बचाना संभव हुआ है।

बिजली की यह उपलब्धि मुख्यतः राज्य के अपने तापीय बिजली केन्द्रों द्वारा अधिक बिजली उत्पादन करने और फरीदाबाद गैस आधारित बिजली केन्द्र से अतिरिक्त बिजली प्राप्त होने के कारण संभव हुई है। राश्ट्रीय तापीय बिजली निगम के फरीदाबाद में गैस पर आधारित पावर स्टे ान में 143–143 मैगावाट के दो यूनिट आरम्भ किये गये थे। जून 2000 तक 146 मैगावाट के तीसरे यूनिट के आरम्भ होने की भी संभावना है। अन–आबंटित केन्द्रीय पूल से कुल बिजली का आबंटित केन्द्रीय पूल से कुल बिजली आबंटन पूर्व के 19 प्रति ात से बढ़ाकर 27 प्रति ात बिजली करवाने हेतु वि ोश प्रयास किये गये। इसके अतिरिक्त,

राश्ट्रीय तापीय बिजली निगम के आटा गैस स्टे ान से हिस्सा बढ़वाया गया। इन दोनों कार्यों के परिणामस्वरूप हमारी उपलभ्यता 10 लाख यूनिट प्रतिदिन बढ़ी है।

मेरी सरकार, नयी उत्पादन परियोजनाओं को सम्पन्न करने में पूरी भाक्ति लगा रही है। पानीपत तापीय बिजली संयन्त्र की 210 मैगावाट की यूनिट–6 पानीपत की ही पुरानी चार 110 मैगावाट वाली म ीनों की संवृद्धि, भाखड़ा बिजली घरों तथा यमुनानगर तापीय बिजली संयन्त्र में 500 मैगावाट की कोयला आधारित नयी परियोजनाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण को भीघ्राति ीघ्र पूर्ण करवाया जायेगा।

मेरी सरकार बिजली की पोशण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की ओर भी वि ोश ध्यान दे रही है ताकि उपभोक्तओं के लिये बिजली की अच्छी गुणवता सुनि चत की जा सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चालू वित वर्श के दौरान 13 नए ग्रिड उप–केन्द्र आरम्भ किये गये है, 97 वर्तमान ग्रिड अप–केन्द्रों की क्षमता में संवर्धन तथा 264 किलोमीटर लम्बी अतिरिक्त उच्च वोल्टता वाली लाईनें बिछाई गई है सोनीपत तथा पाला में 220 के0 वी0 वाली अब्दुल्लापुर यमुनानगर भाहबाद लाईन पूर्ण किये गये मुख्य पारेशण कार्य है, जिससे राश्ट्रीय तापीय बिजली निगम की बिजली के उपयोग में सहायता मिली है तथा यमुनानगर, भाहबाद, पेहवा, अम्बाला और पंचकूला के आसपास के क्षेत्र में वोल्टता और बिजली आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है।

बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार भी मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता कार्यसूची में भाामिल है। 11 के0 वी0 वाले अत्यधिक अतिभार वाले 50 फीडरों का नवीकरण किया जा रहा है। 5950 अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर लगाये जा रहे है तथा पुरानी तारों को बदला जा रहा है।

हरियाणा राज्य, बिजली क्षेत्र में सुधार तथा पुराने राज्य बिजली बोर्ड के पुनर्गठन करने वाले प्रथम राज्यों में से एक है। एक स्वतन्त्र विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना की गई है तथा पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को पूथक् उत्पादन, पारेशण तथा वितरण कम्पनियों में विभाजित किया गया है। इन उपायो से न केवल इन विधुत कम्पनीयों की वितीय स्थिति में सुधार आयेगा बल्कि बिजली उपभोक्ताओ को सेवाओं में भी काफी सुधार होगा। मेरी सरकार का बिजली चोरी की समस्या के उन्मूलन हेतु अभियान चलाये जाने तथा वितीय स्थिति में सुधार हेतु बिजली लेखा–परीक्षा सुनि चत करने का प्रस्ताव है।

सिंचाई प्रणाली का जीर्णोद्वार

मेरी सरकार राज्य में विना ाकारी भीशण बाढ़ो की पुनरावृति जिससे गत समय में फसलों का विना ा हुआ और राज्य की आर्थिक स्थिति अस्त–व्यस्त हो गई, के प्रति अत्याधिक चिन्तित है। मेरी सरकार इस विभीशिका का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिय वचनबद्ध है। निकट भविश्य में हरियाणा को बाढ़ निश्प्रभावी

बनाने के लिये संसाधनों की कोई कमी नही रहेगी। राज्य से बाढ़ के जल को निकलने के लिये नालों को मॉनसून से पहले साफ किया जायेगा ताकि जल भीघ्र निकलने के लिये तैयारी हो सके। हिसार–घग्घर नाला नामक महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की गई है ताकि घग्घर नदी के जल–क्षेत्र में आने वाले जिला कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद तथा सिरसा में जल निकालने की समस्या का स्थायी समाधन हो सके। सभी उपायुक्तों को निर्दे ा दिये गये है कि वे बाढ़ राहता निर्माण–कार्यों तथा उपस्करों की जांच करें तथा यह सुनि चत करें कि वे सब क्रिया ील है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में सिंचाई क्षेत्र के महत्व पर अत्याधिक बल देने को नकारा नही जा सकता। एक अनुमान के अनुसार घरेलू औद्योगिक तथा वानिकी क्षेत्रों की सिचांई माग को पूरा करने हेतु राज्य को आगमी पांच वर्श में लगभग 34 एम0 ए0 एफ0 जल की आव यकता होगी। इस समय वर्तमान स्त्रोत से उपलभ्यता 18.8 एम0 ए0 एफ0 है, जिसमें स्तही जल का अ ादान लगभग 10.8 एम0 ए0 एफ0 तथा भोश भूमिगत जल स्त्रोतों का अं ादान है। अतः जल संरक्षण और दूरद ीं प्रबन्धन हमारी सिंचाई रणनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नहरों के अन्तिम छोर तक जल की आपूर्ति सुनि चत करने हेतु सिंचाई जल–मार्गों से समय–समय पर घासपात तथा गाद निकालने का कार्य किया जायेगा। हरियाणा जल संसाधन परियोजना के अन्तर्गत कच्ची नहरो के आधुनिकीकरण, वर्तमान पक्की नहरों की बहाली तथा

पुराने सिंचाई ढांचे की प्रतिस्थापना की प्रक्रिया तेज की जायेगी। जल–प्रबन्धन के सुधार के उपायों के रूप में नये रजवाहों के निर्माण तथा वर्तमान रजवाहों के विस्तार का कार्य आरम्भ किया जायेगा। तथापि, सिंचाई आव यकताओं को पूरा करने में वास्तविक सफलाता केवल सतलुज–यमुना योजक नहर से राज्य के हिस्से का रावी–व्यास का जल मिलने पर ही प्राप्त होगी। मेरी सरकार हरियाणा राज्य की आर्थिकता के मूलाधार सतलुज–यमुना योजक नहर के आरम्भ करने के लिये भरसक प्रयास करेंगी।

हरियाणा जल समेंकन परियोजना की मूल परियोजनावधि दिसम्बर, 2000 में समाप्त हो रही है। परियोजना की अवधि को दो वर्श बढ़ाने क लिए वि व बैंक को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है तथा आ ा है कि भारत सरकार के सक्रिया समर्थन से इस अवधि को बढ़ाने की अनुमति मिल जायेगी। नयी बनी हिसार–घग्घर नाला परियोजना को इसमे भामिल करने हेतु इस परियोजना की पुनः संरचना का भी प्रस्ताव है, जिससे घग्घर नदी जलक्षेत्र में आने वाले कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों की जल–निकास समस्याओं का स्थाई समाधान हो जायेगा।

नये हथनीकुण्ड बैराज के निर्माण से पुराने ताजेवाला बैराज को बदलना संभव हो जायेगा। पि चमी यमुना नहर योजक जलमार्ग नामक एक नया जलमार्ग बनाया जा रहा है, इसके निर्माण के प चात् मॉनसून मौसम के दौरान 4000 क्सूसेक अतिरिक्त जल

उपलब्ध करवाये जाने की सम्भावना है। इसी प्रकार, पथराला बांध का निर्माण–कार्य पूरे जोरों पर है। नया ओटू वीयर, जो पुराने ओटू वीयर का स्थान लेगा, वर्तमान बीयर से 1000 फुट अपवाह पर बनाया जा रहा है तथा नये बीयर का निर्माण–कार्य अक्तूबर, 2001 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। आवर्धन नहर का पुनर्निर्माण करने का भी प्रस्ताव है ताकि उसकी 4500 क्यूसेक रह गई है। यह निर्माण–कार्य भीघ्र पूरा हो जाने की सम्भावना है और इससे दक्षिणी हरियाणा में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी।

मेरी सरकार रजवाहों के निर्माण तथा जल–निकास–कार्यों को बढ़ाने के लिये नाबार्ड से प्राप्त सहायता का पूरी तरह उपयोग कर रही है। अब तक 350 करोड़ रूपये की कुल अनुमानित लागत से लगभग 441 स्कीमों बनाई जा चुकी है। नाबार्ड सहायत–प्राप्त निर्माण–कार्यों में भाामिल मुख्य स्कीमें, रिवाड़ी उठान सिंचाई स्कीम, भिवानी दादरी नाला, मेहमलाखनामाजरा नाला, बारसोला फीडर का निर्माण, इसराना वितरणिक और खानपुर रजवाहे के आवर्धन हेतु वाहक जलमार्ग का निर्माण, धुंदरी रजवाहे तथा फराल रजवाहे आदि के निर्माण है।

मेरी सरकार, भाखड़ा मुख्य लाइन और नरवाना भााखा की खोई हुई क्षमता को बहाल करने पर भी जोर दे रही है। पंजाब सरकार द्वारा हमारे खर्च पर निर्माण–कार्य किया जा रहा

है। पंजाब सरकार के पूर्ण सहयोग से न्यूनतम सम्भावित समय में यह निर्माण–कार्य पूरा हो जायेगा।

भाहरी विकास

माननीय सदस्यगण, हरियाणा ने वि ाश्ट वर्ग को न केवल औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अपितु उन्हें यहां अपना घर बनाने के लिये भी आकर्शित किया है। गुड़गांव तथा उसके इर्द–गिर्द बन रहे नये रिहाय ी क्षेत्र अपने अद्धितीय परिवे ा के कारण समूचे दे ा के लिये आद र्ा बन गये है। मेरी सरकार का नगर आयोजना में नये विचार लाने और हरियाणा भाहरी विकास प्रतिधकरण के कार्य में पुनः तेजी लाने का प्रस्ताव है। वास्तव में, न केवल राश्ट्रीय राजधानी के आस–पास के क्षेत्रों में बल्कि राज्य के सभी मुख्य नगरों में बेहतर भाहरी वातावरण सृजित करने का प्रस्ताव है। मेरी सरकार का, सभी नगरों के लिये भाहरी विकास की सम्भावी योजना–2000 तक की परिकल्पना करने का प्रस्ताव है। यह एक बृहद् दस्तावेज होगा और इसमें सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित उदे यों को प्राप्त किया जायेगा, वर्तमान नियमों तथा विनियमों की समीक्षा करने तथा हरियाणा भाहरी विकास प्रधिकरण के कार्यो को गति प्रदान करने एवं इसे उपभोक्ता–हितैशी बनाने का प्रस्ताव है। सहकारी समूह आवास समितियां व कल्याण आवास संगठनों को बहुमंजिले फ्लैट बनाने के लिय प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा भाहरी विकास प्रधिकरण को कहा गया है कि वह इस द्वारा विकसित सैक्टरों का परिवे ा बनाये रखने के

साथ–साथ वर्तमान पर्यावरण मे भी सुधार लाये। अतः हरियाणा भाहरी विकास प्रधिकरण द्वारा मुख्य नगरों मे नगर–पार्क बनाने गये है और पंचकुला में एक सुन्दर गोल्फ कोर्स विकसित किया जायेगा। हरियाणा भाहरी विकास प्रधिकरण द्वारा भाहरी सड़को की वि ोश मरम्मत का कार्य भाुरू किया गया है और यह विद्यालय, डिस्पैसरियां, क्लब तथा सामुदायिक केन्द्र तथा पुलिस थाने बनाकर सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है।

स्थानीय भाासन

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार बेहतर नागरिक सुविधाएं जुटाने की ओर वि ोश ध्यान दे रही है। नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने के लिये भाहरी गन्दी–बस्तियों मेंं पर्यावरण सबंन्धी सुधार, राश्ट्रीयगन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम, छोटे तथा मध्यम नगरों का एकीकृत विकास जैसी विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित की जा रही है।

छोटे तथा मध्यम नगरों के एकीकृत विकास की स्कीम के अन्तर्गत चरखी–दादरी, बरवाला, यमुनानगर और पेहवा नगरों के लिये 264.66 लाख रूपये की रााि दी गई है। इस स्कीम का उदे य छोटे नगरों मेंं बड़े नगरों जैसी सुविधाये देकर उन पर बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को कम करना है।

राज्य में पहले से चल रही तीन स्कीमों अर्थात नेहरू रोजगार योजना, भाहरी निर्धन बुनियादी सेवा तथा प्रधानमंत्री

एकीकृत भाहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के स्थान पर एक नयी केन्द्र–चालित स्कीम स्वर्ण जयन्ती भाहरी रोजगार योजना पहली दिसम्बर, 1997 से आरम्भ की गई है। गई हे। यह स्कीम भाहरी बेरोजगार अथवा कम रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को कौ ाल विकास प्रि ाक्षण के माध्यम से स्व–रोजगार उद्यमों की स्थापना करते हुये लाभकारी रोजगार प्रदान करेगी। यह योजना उचित सामुदायिक संरचनाओं पर निर्भर होगी और सामुदायिक रोजगार की आधारि ाला पर पनपेगी।

कृशि

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की विकास ील प्राथमिकताओं में कृशि के लिये प्रमुख स्थान है। राज्य के मेहनती और जिम्मेवार किसानों के हित हमें बहुत प्रिय है।

चालू वित वर्श 1999–2000 के लिये खाद्यन्नों के उत्पादन का लक्ष्य 122.50 लाख टन रखा गया है, जिसमें 37 लाख टन खरीफ के लिये और 85.50 लाख टन रबी फसल के लिये है। इसी प्रकार गन्ने, कपास और तिलहन का उत्पादन लक्ष्य क्रम ाः गुड के रूप में 9 लाख टन, 12 लाख गाठे और 10.20 लाख टन रखा गया है। इस महत्वकॉक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे है ताकि महत्वपूर्ण कृशि इन्पुट (Input) पर्याप्त मात्रा में यथाासमय उपलब्ध हो सके। किसानों को खरीफ और रबी फसलों के लिये अच्छी किस्म के 3.94 लाख क्विंटल बीज

उपलब्ध करवाये गये। वर्श के दौरान लम्बे समय के सूखे के बावजूद बीजों के वितरण का स्तर वर्श 1998–99 की उपलब्धियों के बराबर है। खरीफ 1999 के दौरान उर्वरक खपत 3.36 लाख टन पोशकतत्व रही और चालू रबी मौसम के दौरान खपत 5.35 लाख टन तक होने की सम्भावना है, इस प्रकार समूचे वर्श के दौरान कुल 8.71 लाख टन खपत हुई है।

दुर्भाग्यव ा, खरीफ 1999 के दौरान अत्यधिक कम वर्शा के कारण फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।राज्य में, वि ोशकर दक्षिण–पि चम क्षेत्र मे, सूखे जैसी स्थिति रही। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद खरीफ 1999 के दौरान 30.70 लाख टन खाद्यन्न का उत्पादन हुआ, जो कि खरीफ 1998 के 31. 54 लाख टन उत्पादन से थोड़ा सा कम है। चालू वर्श के दौरान तिलहन का उत्पादन लगभग 7.19 लाख टन होने की आ ाा है जबकि गत वर्श 6.42 लाख टन उत्पादन हुआ था। गन्ने का उत्पादन 8 लाख टन होने की आ ाा है जबकि गत वर्श के दौरान 6.88 लाख टन उत्पादन हुआ था। कृशि की वृद्धि–प्राप्त विकास दर को बनाये रखने के लिये वर्श 2000–2001 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य 126.50 लाख टन नियत किया गया है।

हरियाणा राज्य कृशि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों के उत्पादन की नियामित बिक्री के लिये उन्नत तथा सुलभ बाजार सुविधायें जुटानें के लिये निरन्तर प्रयत्न किये गये है। वर्श 1969 में बोर्ड के गठन के समय राज्य में केवल 58 मुख्य यार्ड और 60

उप–यार्ड थे। इस समय, बोर्ड के पास समूचे राज्य में फैले 105 मुख्य यार्ड 178 उप–यार्ड और 142 खरीद केन्द्र है। वर्श 1998–99 के दौरान मार्किट भाुल्क के रूप मे वसूल किये गये 100 करोड़ रूपये के मुकाबले चालू वित वर्श के लिये 120 करोड़ की वसूली का लक्ष्य रखा गया है।

सड़कों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर करने के मेरी सरकार के निर्माय के अनुसार हरियाणा कृशि विपणन बोर्ड द्वारा 30 नवम्बर, 1999 तक 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़को को गड्ढा–रहित बना दिया गया।

मेरी सरकार द्वारा बागवानी के क्षेत्र के विकास पर वि ोश बल दिया जा रहा है। चालू वर्श के दौरान 2100 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के फलों की खेती के अन्तर्गत लाया गया है, जिससे 17,600 टन फलों का उत्पादन होने का अनुमान है। चालू वर्श के अन्त तक विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती के अधीन लायें गये कुल क्षेत्र के 28.277 हैक्टेयर के प्रभावी स्तर तक पहुंच जाने की सम्भावना है, जिससे 2.10 लाख टन उत्पादन होगा। आगमी वित वर्श के दौरान 2000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फलों की खेती के अधीन लाये जाने की योजना है। लगभग 1.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सब्जियों की खेती के अधीन है, जिसमें लगभग 19 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। इसी प्रकार, चालू वर्श के दौरान खुम्भी की पैदावार बढ़कर 3600 टन हो जाने की सम्भावना है। चालू वित वर्श के दौरान फूलों की

खेती के अधीन क्षेत्र बढ़कर 2500 हैक्टेयर हो जाने की सम्भावना है।

मेरी सरकार किसनों को बेमौसमी सब्जियों और फूलों की पैदावार के लिये ग्रीन–हाऊस प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये भी प्रोत्साहित कर रही है। अब तक 159 ग्रीन हाऊस स्थापित किये जा चुके है। वर्श 2000–2001 में 12 और ग्रीन हाऊस बनाने का प्रस्ताव है। 12.50 करोड़ रूपये की लागत से उचानी करनाल में एक बागवानी प्रि ाक्षण संस्थान बनाया जा रहा है, जिसमें संस्थान के अमले और किसानों की कार्यकु ालता तथा ज्ञान को अद्यतन किया जायेगा। यह केन्द्र जून, 2000 तक कार्य करना आरम्भ कर देगा।

सहकारिता

राज्य के सहकारिता क्षेत्र में कृशि तथा कृशि उद्योगों के अतिरिक्त चीनी मिल और डेरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आते है। राज्य में 10 सहकारी चीनी मिलें कार्य कर रही है, जिसकी कुल पिराई क्षमता 19550 टन प्रतिदिन है। राज्य में गन्ने के प्रतियोगी मूल्य की अदायगी में चीनी मिलें अग्रणी रही है तथा किसानों को दिया जा रहा गन्ने का मूल्य वर्श 1999–2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा नि चत गन्ने के न्यूनतम साविधिक मूल्य से कहीं अधिक है। सरकार द्वारा राज्य में गन्ने की विभिन्न किस्मों का निर्धारित मूल्य 104 रूपये, 106 रूपये तथा 110 रूपये

प्रति क्विंटल है तथा यह समझा जाता है कि ये मूल्य पूरे दे ा में सबसे अधिक है।

मेरी सरकार द्वारा सिरसा तथा सोनीपत जिलों में क्रम ाः पन्नीवाला मोटा तथा आहुलाना के स्थान पर दी नई चीनी मिलें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। पन्नीवाला मोटा में चीनी मिल परियोजना की लागत 40 करोड़ रूपये होगी, जिसकी गन्ना पिराई की क्षमता 1750 टी. सी. डी. होगी जिसे बढ़ाकर 2500 टी. सी. डी. किया जा सकता है। इस मिल में गन्ना पिराई कार्य नवम्बर 2001 में आरम्भ होगा इस मिल से प्रदे ा के 15000 किसानों को लाभ होगा। चीनी मिलों के कमानक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में गन्ने के विकास के लिये 141 लाख रूपये के वितीय परिव्यय वाली गन्ना विकास योजना पहले से ही क्रियान्वित की जा रही है।

आहुलाना में स्थापित की जाने वाली चीनी मिल की गन्ना पिराई क्षमता 2500 टी. सी. डी. होगी। इस चीनी मिल परियोजना की अनुमानित लागत 55 करोड़ रूपये है। इस मिल में गन्ना पिराई कार्य नवम्बर, 2001 में आरम्भ होगा जिससे प्रदे ा के 20,000 किसान लाभान्वित होंगे।

मेरी सरकार द्वारा सिरसा जिले में डीग और कालांवाली में दो नयी चीनी मिलें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है लिया गया है। इन दोनों मिलों के दिसम्बर, 2000 में आरम्भ हो

जाने की सम्भावना है तथा इन मिलों की विधान क्षमता 4000 टन प्रति मौसम होगी। इन मिलों की स्थापित करने के लिये हैफेड द्वारा 5 करोड़ रूपये की राि ा खर्च की जायेगी।

हैफेंड द्वारा 330 लाख रूपये की लागत से सकताखेड़ा जिला सिरसा में एक प ुचारा संयन्त्र भी स्थापित किया जा रहा है। इस संयन्त्र की विधायन क्षमता 15,000 टन वार्शिक होगी। इस संयन्त्र के वर्शा 2001 तक भ ुरू हो जाने की सम्भावना है।

हरियाणा डेरी विकास सहकारी संघ ने दुग्ध उत्पादों के विधायन तथा उनके विपणन में प्रभाव ाली प्रगति की है। इसके पांच दुग्ध संयंत्रों की विधायन क्षमता 4.70 लाख लिटर प्रतिदिन है। चालू मौसम के दौरान हरियाणा डेरी विकास सहकारी संघ के कार्य की प्र ंसा की गई है, क्योंकि इसने अब तक की सबसे अधिक 4.40 लाख लिटर दुग्ध प्रतिदिन अधिप्राप्ति करके पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिये है। हरियाणा डेरी विकास सहाकरी संघ द्वारा वर्तमान दुग्ध संयंत्रों की विधान क्षमता और अधिक बढ़ाने हेतु वर्श 2000–2001 के लिये एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। हरियाणा डेरी विकास सहकारी संघ ने दुग्ध ने अधिप्राप्ति के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि की गई है। ग्रमीण स्तर की डेरी सहकारी समितियों की संख्या 2900 हो गई है जबकि गत वर्श यह संख्या 2500 थी। दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिये गये है। प्रथम अप्रैल, 1999 से 30 नवम्बर, 1999 के बीच अदा किया गया

औसत मूल्य 10.78 रूपये प्रति लीटर था जबकि गत वर्श इसी अवधि के दौरान यह मूल्य 9.88 रूपये प्रति लिटर था।

रोहतक और बल्लभगढ़ के दुग्ध संयन्त्रों को आई. एस. ओ. 9002 और आई. एस– 15000 प्रमाणपत्र मिला हुआ है, जो कि गौरव ााली उपलब्धि है।

हरियाणा सहकारी अपैक्स बैंक लि. वर्तमान 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार 2300 मिनी बैंकों के माध्यम से राज्य भर में ऋण सुविधाये प्रदान कर रहा है। इन 2300 मिनी बैंको को जिला स्तर पर कार्यरत 17 केन्द्रीय बैंकों द्वारा वितीय सहायता प्रदान की जा रही है। हरियाणा सहकारी अपैक्स बैंक लि. नाबार्ड से वितीय सहायता प्राप्त करके तथा अपने संसाधनों द्वारा पर्याप्त ऋण सुविधायें प्रदान करता है। 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार हरियाणा सहकारी अपैक्स बैंक लि. द्वारा राज्य स्तर पर 2214.38 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की गई।

हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक, 87 प्राथमिक कृशि एवं ग्रामीण विकास बैंको के प्रवर्तक सुसाध्यकारी तथा वितपोशक के रूप में कार्य कर रहा है। 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार बैंक ने 257.57 करोड़ रूपये ऋण दिये है। कहा जाता है कि प्रत्येक तीसरा ट्रैक्टर प्राथमिक कृशि एवं ग्रमीण विकास बैंक द्वारा वितपोशित किया जाता है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतें

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने, आय स्तर में वृद्धि तथा सम्पतियों के सृजन के लिये विभिन्न कार्यक्रम लागू कर रही है। स्वर्ण–जयन्ती ग्राम स्व–रोजगार योजना नामक एक नयी स्कीम प्रथम अप्रैल, 1999 से आरम्भ की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों के स्व सहायता समूहों के गठन, प्रि ाक्षण, ऋण प्रौद्योगिक तथा विपणन जैसे स्व–रोजगार के सभी पहलू आते हैं। इस स्कीम का उदे य प्रत्येक सहायता–प्राप्त परिवार को तीन वर्श के अन्दर गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है।

इस वर्श के दौरान जवाहर रोजगार योजना की पुनः संरचना के बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आरम्भ की गई है। यह स्थानीय स्तर पर परिसम्पति सृजन स्कीम है। वर्श 1999–2000 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत 2751.79 लाख रूपये का आबंटन किया गया है तथा दिसम्बर, 1999 के अन्त तक 1633.81 लाख रूपये खर्च किये जा चुके है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 11.33 लाख मानव–दिवस जुटाये गये है।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 1999 के अन्त तक 4581 मकानों का निर्माण किया जा चुका है तथा 1535 मकानों का निर्माण–कार्य प्रगति पर है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1249.10 लाख रूपये के वार्शिक आबंटन में से 833.66 लाख पहले ही खर्च किये जा चुके हैं।

रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाने तथा स्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पतियों के सृजन हेतु रोजगार आ वासन स्कीम लागू की जा रही है। वर्श 1999–2000 के लिये किये गये 3037.98 लाख रूपये के आबंटन मं से कार्यन्वयन एजेंसियों द्वारा दिसम्बर, 1999 के अन्त तक 1181.81 लाख रूपये की रा ि खर्च की जा चुकी है।

राज्य के भ्ाुश्क क्षेत्रों रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, तथा झज्जर जिलों में केन्द्र तथा राज्य की सहभागिता से मरूस्थल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उदे य लक्षित क्षेत्रों में अकाल की विभीशिका तथा मरूस्थलीय स्थिति को नियन्त्रिण करना है।

पूर्व वार्णित स्कीमों के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों को राजस्व अर्जन स्कीम के अन्तर्गत उन प्रयोजनों हेतू ब्याज–मुक्त ऋण दिया जाता है, जिन से उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। मैचिंग ग्रांट स्कीम के अन्तर्गत राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों और अन्य संगठनों को उतनी मैचिंग ग्राट दी जाती है। जितना कि उनके द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिये जनता से अं ादान के रूप से इक्ट्ठा दिया जाता है। तथापि, कन्या विद्यालयों और उनके छात्रावासों के मामले में राज्य सरकार द्वारा जनता के अं ादान के माध्यम से इकट्ठी की गई रा ि का दुगुना दिया जाता हैं। वर्श 1999–2000 के दौरान सं ाोधित बजट उपबन्ध जनता के हिस्सो सहित 120 लाख रूपये

है जबकि वर्श 2000–2001 के लिये जनता के हिस्से साहित 225 लाख रूपये का उपबन्ध है।

वन

यद्यपि हरियाणा राज्य एक कृशि प्रधान राज्य है फिर भी कूल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 3.38 प्रति ात क्षेत्र अभिलिखित बन क्षेत्र है। वन विभाग, कृशि–वानिकी के अन्तर्गत कृशि फसलो के साथ–साथ विभिन्न किस्मों के वृक्ष लगाने, फार्म–वानिकी को अपनाने, घटिया किस्म की पंचायत भूमि पर अत्यधिक वनरोपण तथा गति ील रेत के टीली पर वनरोपण के एकीकरण के कारण लोगों की सक्रिय भागीदारी से राज्य में वृक्षाधीन क्षेत्र बढ़ाने से सफल रहा है। वर्श 1990–91 से 1999–2000 तक अवधि के दौरान 39.390 हैक्टेयर पंचायत भूमि पर यूरोपियन संघ द्वारा वितपोशित अरावली पहाड़ियों में भाामलात भूमि की बुनाई परियोजना के अधीन बनरोपण किया जा चुका है।

पर्यावरण

पर्यावरण की भाुद्धता को बनाये रखना मेरी सरकार के लिये मुख्य चिन्ता का विशय है।

वाहन प्रदूशण, खतरनाक अपि ाश्ट प्रबन्धन, ठोस अपि ाश्ट प्रबन्धन अन्तर्राज्यीय प्रदूशण समस्या, मल–निकास परि ाोधन संयंत्र और यमुना कार्य योजना जैसे मुख्य मामलों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। हरियाणा राज्य प्रदूशण

नियन्त्रण बोर्ड 996 औद्योगिक इकाइयों को मलनिस्त्राव परि ाोधन संयत्र लगाने और 945 इकाइयों को 15 फरवरी, 2000 तक अपने यूनिटों में वायु–प्रदूशण नियन्त्रण उपाय करने के लिये प्रोत्साहित करने में सफल रहा है।

प ाु पालन

प ाुपालन विभाग द्वारा प ाुधन में आनुवं ाकी सुधार लाने के लिये बहूदे ीय कार्यक्रम भाुरू किया गया है। सरकार द्वारा जनवरी, 2000 में हरियाणा प ाुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड का मुख्य उदे य आनुवं ाकी सुधार लाना है। कृत्रिम वीर्यसेचन कार्यक्रम को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ अच्छी किस्म के प ाुओं का पता लगाया जा रहा है तथा उनके जर्मप्लाजम को अधिप्राप्ता तथा बढ़ाया जा रहा है। एम्बरॉय ट्रांसफर टैक्नॉलाजी को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा इसका विस्तार किया जायेगा। किसानों को आधुनिक प्रजनन तकनीक अपनाने के लिये ि ाक्षित किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा हरियाणा प ाुधन विकास बोर्ड के क्रियाकलापों के लिये 373.5 लाख रूपये दिये जा चुके है।

विभाग द्वारा जिलों तथा उपमण्डल स्तर पर प्रयोग ाालायें बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। एक्सरे सुविधाओं जैसे रोग निदान के आधुनिक उपकरण भी मुहैया

करवाये जायेंगे। राज्य में एक अपनी किस्म का पहला पॉलिक्लीनिक बनाये जाने का प्रस्ताव है।

मछली पालन

हरियाणा राज्य में मछली पालन की अत्यधिक क्षमता है। वर्श 1998–99 के दौरान मछली पालन विभाग द्वारा 1680 लाख मछली बीजों के स्टॉक से 32250 टन मछली उत्पादन किया गया। राज्य द्वारा 4049 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर औसत मछली उत्पादन किया गया जबकि राश्ट्रीय औसत 2202 किलोग्राम है।

राज्य के मछली पालन विकास कार्यक्रम का उदे य परिवे ान–हितैशी ढंग से मछली पालन को प्रोत्साहन देना और वितीय एवं तकनीकी सहायता देकर मछली–पालकों को प्रि ाक्षित करना है। विभाग द्वारा फरीदाबाद और पानीपत में मछली विपणन केन्द्र बनाये गये है और इस वित वर्श के अन्त तक यमुनानगर मे मछली बाजार बन कर तैयार हो जायेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

राज्य में 7911 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। राज्य में कुल 42,80,146 रा ान कार्ड–धारक है और 2.09 करोड़ यूनिट है। सार्वजनिक वितरण सप्लाई लेने के लिये किसी भी उपभोक्ता को 1.5 किलोमीटर से अधिक दूर नही जाना पड़ता। उपभोक्ताओ के हितों की रक्षा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा चण्डीगढ़ में एक

पूर्ण उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राज्य के सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित किये गये है।

हरियाणा, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों का बड़ा अभिदाता है। पंजाब के बाद इसका नाम दूसरे स्थान पर आता है। केन्द्रीय पूल में चावलों के मामले में इस का अभिदान 11 प्रति ात है जबकि दे ा के उत्पादन में इस का हिस्सा 3 प्रति ात है। खरीफ 1999—2000 के बिक्री के मौसम के दौरान 31 जनवरी, 2000 तक राज्य ने केन्द्रीय पूल में 7.21 लाख टन चावलों का अं ादान दिया। चालू खरीफ मौसम में लगभग 2.89 लाख टन और चावल का केन्द्रीय पूल आव यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिये मूल्य—वृद्धि पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

जन—स्वास्थ्य

ग्रामीण तथा भाहरी क्षेत्रो में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है। चालू वित वर्श में पेयजल उलब्यता का स्तर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने के कार्यक्रम के अतिरिक्त 350 गांवों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह मेरी सरकार के लिये प्रतिश्ठा की बात है कि 31 जनवरी, 2000 तक 275 गांवों में जल आपूर्ति बढ़ाई जा चुकी

है तथा 31 मार्च, 2000 तक भोश गांवों मे भी जल आपूर्ति बढ़ने की आ ाा है।

भारत सरकार द्वारा 50 अनुपात 50 के आधार पर वितपोशित किये जा रहे त्वरित भाहरी जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 नगरों के लिये 1467 लाख रूपये की लागत वाली स्कीम तैयार की गई हैं। पेयजल सप्लाई का दर्जा बढ़ाया गया है जिससे सोहना, पटौदी, नारनौद और कनीना में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल मिलेगा। भोश सात नगरों अर्थात बनानीखेड़ा, तावडू, रतिया खरखौदा, उचाना, असंध और कलानौर में निर्माण–कार्य प्रगति पर है। अम्बाला सदर, कैथल, भिवानी के नगरों में पेयजल सप्लाई के सवंर्धन के लिये भारत सरकार द्वारा 4970 लाख रूपये की राि ा की एक परियोजना अनुमोदित कर दी गई है।

मेरी सरकार राज्य के छः नगरों, अर्थात यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव तथा फरीदाबाद में मल–निस्सार परि ाोधन संयन्त्र लगाने में भी अग्रणी रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल

मेरी सरकार अपनी जनता को बुनियादी एवं वि ोशज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता देती है। हरियाणा की जनता को राज्य में 2299 उप–केन्द्रो, 401 प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 44 अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा रही है।

पोलियों को समाप्त करने के लिए मेरी सरकार द्वारा पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। हरियाणा द्वारा प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से कम कुछ रोगी का कुछ रोग समाप्ति लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अनेक नियन्त्रण उपायों के माध्यम से मलेरिया के रोगियों की संख्या में काफी कमी आई है। वर्श 1978 के दौरान मलेरिया के रोगियों की संख्या 7.36 लाख के मुकाबले वर्श 1999 के दौरान केवल 2600 रोगियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

हरियाणा दे ा का ऐसा पहला राज्य था, जिसने हैपेटाइटिस–बी टीकाकरण के प्रतिरक्षण कार्यक्रम को भारू किया। हरियाणा दे ा का ऐसा पहला राज्य है जिसने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों पर दन्त चिकित्सा सेवायें आरम्भ की गई है।

स्वास्थ्य विभाग, राज्य में एड्स को फैलने से रोकने के लिये अत्यधिक प्रयत्न ील है। राज्य मुख्यालय पर एक एड्स केन्द्र की स्थापना की गई है। हरियाणा एड्स समिति फरवरी, 1998 से कार्य कर रही हे। पूर्वोतर पराम ा देकर राज्य में एड्स का स्वैच्छिक परीक्षण चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है।

समाज कल्याण

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा कमजोर वर्गो को अधिकार देने और निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को प्रदान करने के उपय किये गये है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्धावस्था, विधाव और विकलांग पैं ान स्कीमो के अन्तर्गत 16372.91 लाख रूपये की राि ा खर्च किये जाने का प्रस्ताव है, इससे दस लाख से भी अधिक लोगों को लाभ होगा। मेरी सरकार द्वारा वृद्धों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली मासिक पैं ान की दर 100 रूपये प्रतिमास से बढ़ाकर 200 रूपये प्रतिमास प्रति लाभानुभोगी कर दी गई है।

मेरी सरकार द्वारा अ ाक्त व्यक्तियों के कल्याण की विभिन्न स्कीमों का कार्यन्वयन किया जा रहा है। विकंलाग विद्यार्थियों को 100 रूपये से लेकर 500 रूपये प्रतिमास तक की छात्रवृति दी जा रही है। ि ाक्षित विकलांग व्यक्तियों को 150 रूपये प्रतिमास से लेकर 250 रूपये प्रतिमास तक बेरोजगारी भता दिया जा रहा है। नेत्रहीन कुर्सी बुनकरों को 1500 रूपये प्रतिमास की दर रिटेनरि ाप भता दिया जा रहा है।

मेरी सरकार की वर्श 1999–2000 के दौरान सिरसा में एक कुछ आश्रम बनाने की योजना है। भारत सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में वृद्ध–गृह बनाने के लिये 30 लाख रूपये सहायतानुदान के रूप में दिये जायेंगे। अम्बाला में वृद्ध–गृह का निर्माण–कार्य प्रगति पर है।

अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग विभाग द्वारा इन समुदायों के ि ाक्षिक, समाजिक–आर्थिक उत्थान के लिये अनेक स्कीम चलाई जा रही है। इस कार्य के लिये वर्श 1999–2000 के दौरान 33.22 करोड़ रूपये खर्च किये जायेगे। मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की लड़कियों को अपनी बेटी मानते हुये उनके विवाह के अवसर पर कन्यादान के लिये एक नयी स्कीम क्यादान आरम्भ की गई है। इस स्कीम के अन्तग्रत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले अनुसूचित जातियों की लड़कियों के माता–पिता को 5100 रूपये की रा ि ा दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों के परिवारों को वितीय सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित किये गये हरियाणा हरिजन कल्याण निगम द्वारा वर्श 2000–2001 के दौरान अनुसूचित जातियों के 12,000 व्यक्तियों को वितीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है।

हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा वर्श 2000–2001 के दौरान 6.50 करोड़ रूपये की रा ि ा से पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित 2,100 व्यक्तियों कोक वितीय सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

महिला एवं बाल विकास निदे ाालय द्वारा राज्य के सभी 111 ग्रामीण विकास खण्डों तथा पांच भाहरी नगरों में एकीकृत बाल विकास सेवायें स्कीम कार्यन्वित की जा रही है। वर्श 1999–2000 के दौरान 9.86 लाख बच्चों तथा 2.33 लाख गर्भवती

एवं दूध पिलाने वाली माताओं को अनुपूरक पोशाहार प्रदान करने पर 3,099 लाख रूपये खर्च किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1999 तक 2.63 लाख गर्भवती महिलाओं को टैट्नस प्रतिरोध टीके लगाने के अलावा क्रम ाः 2.98 लाख, 2.92 लाख तथा 2.80 लाख बच्चों को बी0 सी0 जी0, डी0 पी0 टी0 पोलियों तथा खसरा प्रतिरोध टीके लगाए गये है।

अपना बेटी अपना धन स्कीम जारी रखी जायेगी क्योंकि इसकी व्यापक स्तर पर प्र ांसा की गई है।

यू0 एन0 एफ0 पी0 ए0 से सहायता–प्राप्त महिला अधिकारिता एवं विकास परियोजना, सामाजिक गति ीलता के माध्यम से तथा स्वास्थ्य और ि ाक्षा के क्षेत्रों में हस्तक्षेप से महिलाओं के विकास तथा अधिकारिता हेतु महेन्द्रगढ़ जिले तथा रिवाड़ी जिले के 70 गांवों में यू0 एन0 एफ0 पी0 ए0 की 895.29 लाख रूपये की वितीय सहायता से सफलतापूर्वक लागू की जा रही है।

विद्यालयों जाने वाली लड़कियों को उत्साहित करने और उन्हें विद्यालय छोड़ने से रोकने के लिये 28,835 लड़कियों को 300 रूपय प्रति छात्रा की दर से वर्दी, लेखन–सामग्री और पुस्तक भता दिया गया है तथा 18,268 छात्राओं को अनुपूरक अनुि ाक्षण प्रदान किया गया है। यू0 एन0 एफ0 पी0 ए0 इन

परियोजना की सफल क्रियान्विति से संतुश्ट होकर इसे अधिक अवधि तक बढ़ाने के लिये सहमत हो गया है।

मेरी सरकार ने राज्य महिला आयोग स्थापित करने की चिरकालिक जरूरत को पूरा कर दिया है। यह आयोग महिलाओं से सम्बन्धित विधायी तथा विभागीय नीतियों पर सरकार का पराम र्श देने के लिये पराम र्श निकाय के रूप में कार्य करेंगा और महिलओं के सवैधानिक तथा कानूनींी अधिकारों की सुरक्षा के लिये सरकार और सार्वजनिक स्तर पर आव यक कदम उठायेगा।

श्रम एवं रोजगार

माननीय सदस्यगण, राज्य में अकु ाल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी सं ाोधित करके 1,851,58 रूपये प्रतिमास की गई है, जो दिल्ली को छोड़कर इस क्षेत्र में सबसे अधिक है।

नियोक्ताओं, श्रमिकों तथा आम जनता की जागृति में वृद्धि से राज्य में औद्योगिक सुरक्षा में उचित सुधार हुआ है। राज्य में दुर्घटनाओं की दर 0.91 प्रति हजार श्रमिक प्रतिवर्श है, जबकि राश्ट्रीय औसत 26 प्रति हजार है।

वित वर्श 1999–2000 के दौरान श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याण स्कीमों के अन्तर्गत औद्योगिक कामगारों और आश्रितों को 20.88 लाख रूपये की राि ा वितरित की जा रही है। राज्य कर्मचारी बीमा के अन्तर्गत 4.60 लाख

औद्योगिक कामगारों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य देखभाल के लिये नवम्बर, 1999 तक 1,206,96 लाख रूपये खर्च किये गये है।

ि ाक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम

मेरी सरकार का, विद्यालय सुविधाओं के विस्तार द्वारा प्रारम्भिक ि ाक्षा को सर्वव्यापी बनाने का मुख्य लक्ष्य रहा है। ि ाक्षा की गुणवता में सुधार लाना मेरी सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। प्राथमिक ि ाक्षा पर वि ोश बल दिया गया है जबकि माध्यमिक और उच्चतर ि ाक्षा कार्यक्रमों का समेकन और विस्तार किया गया है।

इस समय प्रदे ा में 10.399 प्राथमिक विद्यालय, 1,776 मिडल, 2,779 उच्च तथा 1,196 वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय है, जिनमें 17.85 लाख लड़कियों सहित 40.08 लाख बच्चे दाखिल किये गये है। चालू भौक्षणिक सत्र के दौरान 100 नयें प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

अनूसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान विद्यार्थियों के उत्थान हेतु विभिन्न प्रोत्साहन स्कीमें आरम्भ की गई है। माननीय सदस्यगण, यह गर्व की बात है कि लड़कियों का दाखिला 15.40 लाख से बढ़कर 17.85 लाख हो गया है। छात्राओं को वि ोश अनु ि ाक्षण दिया गया है। जिन बच्चों के माता–पिता मैला ढोने

के व्यवसाय में लगे है, उनके लिये वि ोश छात्रवृति का उपबन्ध किया गया है।

पूर्ण सारक्षरता अभियान के अन्तर्गत सभी जिले आ चुके है। साक्षरता परियोजनाओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति एक को पढ़ाये कार्यक्रम से साक्षरता अभियान में सहायता मिली है। राश्ट्रीय साक्षरता मि ान द्वारा कुरूक्षेत्र तथा रिवाड़ी जिली हेतु आप्रे ान बहाली कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। पंचकूला, सोनीपत, हिसार तथा जींद जिलों हेतु साक्षरता उपरांत कार्यक्रम आरम्भ किये गये है। राज्य में साक्षरता कार्यक्रमों को गति प्रदान करने हेतु राज्य साक्षरता मि ान प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, 17.46 लाख बच्चों को सम्मिलित करना सुनि चत करने के लिये सभी 111 सामुदायिक विकास खण्डों तथा भाहरी क्षेत्रों मे मध्याह्न भोजन स्कीम कार्यन्वित की जा रही है।

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा उच्चतर ि ाक्षा के क्षेत्र में ि ाक्षा सुविधाओं के समेकन और विस्तार हेतु ठोस उपाय किये गये है। वर्श 1999–2000 में एक गैर–सरकारी तथा दो राजकीय महाविद्यालय खोले गये है। वर्श 1999–2000 में गैंर–सरकारी महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान देने पर अपेक्षित खर्च 94.66 करोड़ रूपये है। वर्श 1999–2000 के दौरान वि वविद्यालयों को 28.70 करोड़ रूपये की रा ि ा प्रदान की गई है। 164 महाविद्यालयों में महिला विकास अध्ययन–कक्षों की

स्थापना की गई है। वर्श 1999–2000 में 17 गैर–सरकारी सम्बद्ध महाविद्यालयों में 30 नये पाठ्यक्रम व विशय आरम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई है।

हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी तथा हरियाणा उर्दू अकादमी राज्य में साहित्यिक गातिविधियों के क्षेत्र में प्र ांसनीय कार्य कर रही है।

खेलकूद

खेलकूद विभाग 25 विभिन्न स्कीमो की सहायता से खेलकूद को प्रोत्साहित कर रहा है। वर्श 1998 में बैंकाक में हुये 13वें एि ायाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला हाकी टीम में कप्तान प्रीतम ठाकरान सहित पांच खिलाड़ी हरियाणा राज्य के है। हैमर थ्रो में श्री भाक्ति सिंह ने रजत पदक जीता। डिसकस थ्रो में श्री अनिल कुमार ने रजत पदक जीता और 13वें एि ायाई खेलों में 4×400 मीटर रिले दौड़ में श्री जटा भांकर ने ताम्र पदक जीता। हरियाणा इस वर्श राश्ट्रीय खेलों में कु ती तथा हाकी में राश्ट्रीय चैम्पिन रहा। एि ायाई खेलों मे स्वर्ण पदक वाली भारतीय कबड्डी टीम मे तीन खिलाड़ी हरियाणा के थे। वर्श 1999–2000 के दौरान भारत सरकार द्वारा हरियाणा के छः खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिये गये है।

भवन एवं सड़के

सड़कों की मरम्मत युद्ध स्तर पर करने के मेरी सरकार के दृढ नि चत के अनुरूप सितम्बर, 1999 से दिसम्बर, 1999 तक की अवधि में 23 करोड़ रूपये की लागत से 7,000 किलोमीटर लम्बी ग्रमीण सड़को को गड्ढा–रहित बनाया गया है।

सड़कों की वि ोश मरम्मत तथा सुधार का कार्य भी पूरे जोरों पर आरम्भ किया गया है। 31 जनवरी, 2000 47 करोड़ रूपये की लागत से 2,083 किलोमीटर लम्बी सड़को पर उपसतही परत चढ़ाने, उनके सुदृढीकरण तथा सुधार, उन्हें ऊँचा उठाने तथा पुनर्निर्माण का कार्य किया जा चुका है। इस वर्श के दौरान 63 किलोमीटर लम्बी नयी सड़के भी बनाई गई है।

वर्श 2000–2001 के दौरान, हुडको से लिये जा रहे दो वर्श में खर्च किये जाने वाले 321 करोड़ रूपये के ऋण से सड़कों की मरम्मत की गति तेज किये जाने की योजना है।

पूर्व वर्णित निर्माण–कार्यो के अतिरिक्त, बी. ओ. टी. स्कीम क अन्तर्गत विकासक्षम परियोजनायें आरम्भ किया जाना सरकार के विचाराधीन है। बाटा चैक फरीदाबाद में चार–मार्गी रेलवे उपरि पुल का निर्माण–कार्य प्रगति पर है, जिसके सितम्बर, 2000 तक पूर्ण ही जाने की सम्भावना है।

नारनौल और भिवानी फेज–II उप–मार्गो हेतु भूमि आर्जित करने के लिये अनुमान संस्वीकृत किये जा चुके है। झज्जर और ढाण्ड में उप–मार्ग निर्माणाधीन है। तथा हिसार (दक्षिणी

उप–मार्ग), ऐलनाबाद, जींद–भिवानी सड़क से जोड़ने वाला व जींद–असंध सड़क को सफीदों–जींद सड़क से जोड़ने वाला एक उप–मार्ग, सिद्धान्त रूप में स्वीकृत किये जा चुके है। सोनीपत में सोनीपत–रताधाना सड़क को मेरठ–सोनीपत सड़क से जोड़ने वाला उप–मार्ग प्र ासनिक रूप से अनुमोदित किया जा चुका है।

चालू वित वर्श 1999–2000 के दौरान 1718.52 लाख रूपये की अनुमानित लागत से 7 पुलों का निर्माण–कार्य प्रगति पर है।

परिवहन

हरियाणा राज्य परिवहन ने खर्च में कमी तथा अमला उत्पादकता के आधार पर सर्वोतम राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों में से एक होने की ख्याति अर्जित की है। वर्तमान में हरियाणा राज्य हरियाणा के पास 31 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार 3,638 बसें है जो अपने 20 आगारों तथा 17 उप–आगारों से 1,697 अन्तर्राज्यीय तथा अन्तः राज्यीय मार्गों पर प्रतिदिन लगभग 10.94 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिनमें प्रतिदिन लगभग 10.42 लाख यात्री सफर करते है।

परिवहन विभाग, सड़क सुरक्षा तथा पर्यावरण से सम्बन्धित कानूनों को लागू करने तथा प्रयोक्ता जनता को कु ाल सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने की दोहरी भूमिका कु ालतापूर्वक निभाने के लिये प्रयासरत है। व्यापक रूप से फैले

प्रदूशण जांच केन्द्रो के नेटवर्क के माध्यम से विभाग के ग ती दल, वाहनों दल, वाहनों द्वारा पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन की जांच करके वायु की गुणवता में सुधार के साथ–साथ प्रति किलोमीटर ईधन की खपत में कमी लाने में सहायता कर रहे है।

सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु बस चालकों की नेत्रदृशिट की नियामित जांच के लिए प्रबन्ध किये गये है। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों मे गति अधि–नियन्त्रक लगाने तथा अधिक गति से चलने वाले वाहनों का चालन करने जैसे उपाय पहले ही आरम्भ किये जा चुके है। हरियाणा राज्य परिवहन की कार्य ाालाओं का सुधार किया जा रहा है ताकि वाहनों में बार–बार होने वाली खराबी (Breakdown) से प्रयोक्ताओं की असुविधा न हो। इसके परिणामस्वरूप, वाहनों में होने वाली खराबी की घटनायें 1997–98 में 0.21प्रति 10,000 किलोमीटर से घट कर अप्रैल, 1999 से जनवरी, 2000 की अवधि में 0.19 प्रति 10,000 किलोमीटर रह गई है। इसी प्रकार, दुर्घटना दर 1998–99 में 0.17 प्रति लाख किलोमीटर से घटकर अप्रैल, 1999 से जनवरी, 2000 की अवधि में 0.15 प्रति लाख किलोमीटर रह गई है।

हरियाणा राज्य परिवहन, जिसने पिछले कुछ समय से नयी बसें नहीं खरीदी है, ने पुराने वाहनों के बदलने का निर्णय लिया है तथा ऐसे बदलाव हेतु नये वाहन खरीदने की योजना है ताकि राज्य में जीर्ण– ीर्ण बसेकं न चलें।

अम्बाला छावनी में हाल ही में, एक नये बस अड्डे का निर्माण करके उसे चालू किया गया है। भिवानी तथा रोहतक में भी नये बस अड्डे निर्माणधीन है। राजौद में भी एक तीन बेज बस अड्डा निर्माणाधीन है।

पर्यटन

हरियाणा पर्यटन द्वारा उत्कृश्ट पर्यटन इन्फ्रास्टक्चर प्रदान किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद हरियाणा पर्यटन द्वारा राज्य भर में 46 आकर्शक पर्यटन केन्द्र स्थापित किये गये हैं और इसका राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान है। हाल ही में समाप्त हुये 14वें सूरजकुण्ड ि ाल्प मेले में जम्मू एवं क मीर राज्य सर्वोपरि आकर्शण का केन्द्र था, इस मेले ने 5 लाख से भी अधिक पर्यटकों को आकर्शित किया जो कि एक कीर्तिमान है।

पर्यटन सुविधाओं के उन्नयन के लिये मुख्य प्रक्रिया भाुरू की गई है। चालू वित वर्श के दौरान गुड़गांव, रिवाड़ी, पिपली रोहतक और मोरनी में अतिरिक्त कमरे किराये पर देना आरम्भ कर दिया गया है। करनाल में 9 होल गोल्फ कोर्स, पेहवा में एक यात्रिक तथा हांसी में एक नये पर्यटन केन्द्र द्वारा सेवा आरम्भ कर दी गई है। करनाल में ओयेसिस के प्रसिद्ध पर्यटक विश्राम स्थल पर सुविधाओं का स्तर बढ़ा दिया गया है।

इलैक्ट्रॉनिकी–सूचना प्रौद्योगिक

वर्श 1986 में स्थापित इलैक्ट्रॉनिकी विभाग का नाम अब इलैक्ट्रनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिक विभाग रखा गया है। विभाग के लिये वर्श 2000–2001 का योजनागत परिव्यय 300 लाख रूपये नियत किया गया है

हरियाणा राज्य इलैक्ट्रनिकी विकास निगम द्वारा बेरोजगार युवकों को प्रि ाक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें इलैक्ट्रॉनिकी और कम्प्यूटर के क्षेत्र में कार्य मिल सके। इस बात को ध्यान में रखतें हुए वि ोशाधिकार प्रणली के अन्तर्गत समूचे राज्य मे कम्प्यूटर प्रि ाक्षण केन्द्र स्थापित किये गये है। इसके अतिरिक्त, नारवेजियन अन्तर्राश्ट्रिय विकास ऐजेन्सी के अन्तर्गत हारट्रॉन द्वारा महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रि ाक्षण भी दिया जा रहा है।

हांस्ट्रॉन द्वारा हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण के सहयोग से गुड़गांव में एक इलैक्ट्रॉनिकी नगर विकसित किया गया है। हारट्रॉन द्वारा अम्बाला छावनी में एक उपकरण डिजाइन विकास तथा सुविधा केन्द्र और गुड़गांव में इलैक्ट्रॅनिकी अनुसंधान विकास एवं सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है।

कानून एवं व्यवस्था

जब से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बिना सोचे समझे न ााबन्दी की नीति लागू की गई थी राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति व्यापक रूप में बिगड़ी है। इससे माफिया गिरोहों का

आविर्भाव हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप युवक अपराधी बने। इससे हमारी कानून एवं व्यवस्था के वातावरण पर विना ाकारी प्रभाव पड़ा तथा हमारे राज्य की आधारभूत परिसम्पति, अच्छी कानून एवं व्यवस्था, के वातावरण के संरक्षण के लिय सुविचारित समूहिक कार्य करने की आव यकता है। मेरी सरकार हर कीमत पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कृत–संकल्प है। पुलिस बल की विभिन्न भाखाओं को सुदृढ किया जायेगा तथा इसके आधुनिकीकरण हेतु प्रभावी कदम उठाने होंगे। अत्याधुनिक उपस्कार प्रंाप्त करने होंगे तथा बेहतर प्रभाव ीता और उच्चतर प्रोत्साहन हेतु सभी स्तरों के कर्मचारियों को पुनः प्रि ाक्षण देना होगा। अच्छे कार्य तथा अपेक्षित निवारण हेतु बल की गति ीलता में सुधार करना होगा। पंजाब और जम्मू एवं क मीर की आतंकवादी गतिविधीयों का हरियाणा पर नि चित रूप से प्रभाव है, जैसा कि उतर प्रदे ा और दिल्ली में सीमा–पार की अपराधिक गतिविधीयों का हमारे पर घातक प्रभाव पड़ा है। हमें अपने राज्य में आंतकवादी तथा अपराधिक घुसपैठ पर निगरानी रखनी होगी। मेरी सरकार इन खतरो के प्रति सजग है तथा खुफिया और कमांडों बलों को सुदृढ किये जाने का प्रस्ताव है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति हो रही है। तथा अपराधी आधुनिक एवं नवीनतम उपस्कारों का लाभ उठाने है। अतः पुलिस बल का अत्याधुनिक दूरसंचार यन्त्र प्रदान करना अत्यन्त आव यक है।

मुझेक यह जानकर प्रसन्नता हो रही कि पिछली सात महीनों में अपराधिक नर–हत्या तथा बलात्कार जैसे घृणित अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है तथा मेरी सरकार का प्रयास होगा कि अपराध नियन्त्रण हेतु उपाय जारी रखे जायें।

माननीय सदस्यगण, मैन सामजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया है। प्रायः प्र ांसनीय कार्यक्रमों को रद कर दिया जात है क्योकि इनके कार्यन्वयन में ि ाथिलता अथवा दोश आ जाते है। मुख्य मंत्री सचिवायल तथा राज्य योजना बोर्ड में कार्यक्रम और नीतियों की मॉनिटरिंग तथा कार्यन्वयन के लिए एक रक्षी निकाय की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। मेरी सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि सरकारी तथा अर्ध–सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली में व्याप्त सभी प्रकार के भ्रश्टचार पर कड़ी निगरानी रखी जाए। महत्वपूर्ण परियोजनओं की फाइलों की हलचल पर जायेगी। आ ा की जाती है कि हरियाणा विधान सभा द्वारा परित लोकयुक्त बिल पर भारत के महामहिम राश्ट्रपति महोदय की सहमति भीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी। राश्ट्रपति महोदय की सहमति प्राप्त होने पर लोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में तुरंत कार्यवाही की जायेगी। मेरी सरकार स्वच्छ, पारद र्ी एवं कु ाल प्र ाासन देने के लिये बचनबद्ध है।

मेरी सरकार भारतीय नीतियों के कुलपिता चौधरी देवी लाल जी की इस उक्ति कि लोकराज लोकलाज से चलता है में

पुनः वि वास व्यक्त करती है तथा स्वयं को ऐसे हरियाणा के सृजन हेतु पुनः समार्पित करती है जहां प्रत्येक नागरिक भाान से जीवन व्यतीत करे तथा चहुंमुखी समृद्धि के फल का आनन्द ले तथा कोई बेरोजगार न रहे, जहां किसान अपनी सर्वोतम क्षमता से उत्पादन करें तथा अपनी फसल का पूरा मूल्य प्राप्त करे, जहां व्यापारी बिना किसी भय के वाणिज्यिक गतिविधियों मे लगे, जहां उद्योगपति आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर की देय सुविधाओं को प्राप्त करें और देसी उपक्रम से वि व स्तर की प्रौद्योगिकी और धन का सृजन करें, जहां सरकारी कर्मचारी समर्पण भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे तथा राज्य में सूख, भाान्ति और समृद्धि हो।

माननीय सदस्याण, यह मेरी सरकार के नीतिगत कार्यक्रमों की मुख्य रूपरेखा है। इन मुद्दों पर आपका चिन्तन तथा रचनात्मक परिचर्चा अव य ही राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास तथा हरियाणा की जनता की समस्याओं को हल करने में सहायक होगी।

मै आपको अपनी भाुभ कामनायें देता हू। आपका चिन्तन रचनात्मक तथा लाभप्रद हो।

अध्यक्ष द्वारा सदन की मेज पर रखा गया कागज–पत्र

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I beg to lay on the talbe of the House a copy of the Election Commission of India Notification No. 308/HN-LA/2000, dated the 28 th February,

2000, issued under section 73 of the Representation of the People Act, 1951.

धोशणाएं–

(क) अध्यक्ष द्वारा

चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

Mr. Speaker: Hon'ble Members under Rule 13(I) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairperson:-

1. Shri Ram Pal Majra, M.L.A.
2. Shri Raninder Singh Bisla, M.L.A
3. Shri Ajay Singh M.L.A
4. Shri Chander Bhatia, M.L.A

(ख) सचिव द्वारा–

राश्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी

Mr. Speaker: Now the Secretary will make an announcement

Secretary: Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Sessions held in July, 1998 January, 1999 and November, 1999 and have since been asscnted to by the Presdent/Governor.

विवरण

July Session, 1998

1. The Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryna Amendment) Bill, 1998.

January Session, 1999

1.Guru Jambheswar Univiersity, Hisar (Amendment) Bill, 1999

November Seeion, 1999

1. The Haryana Municipal (Second Amendement) Bill, 1999.

2. The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 1999

3. The Haryana Apprprion (No.3) Bill, 1999.

4. The Haryana Apprprion (No.4) Bill, 1999.

5. The Panjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Bill, 1999

6.The Panjab New Capital (Periphery)Control (Haryana Amendment) Bill, 1999

भाोक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Chif Minister will make obiturary references.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवे ान और इस अधिवे ान के बीच में कुछ महान विभूतिया इस संसार से चली गई है उनमें से एक डाक्टर भांकर दयाल भार्मा है जो भारत के भूतपूर्व राश्ट्रपति थे।

यह सदन भारत भूतपूर्व राश्ट्रपति डॉ0 भांकर दयाल भार्मा के 26 दिसम्बर, 1999 को हुये दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उसका जन्म 19 अगस्त, 1918 को हुआ। वह असाधारण प्रतिमा के धनी थे। उन्होंने अग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत में एम0 ए0 के अलावा एल0 एल0 एम0 बार–एट–लॉ की डिग्रीयां और लोक प्र ाासन में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने इसके प चात कैम्ब्रिज वि वविद्यालय से सवैधानिक विधी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा वहां पढ़ाने का कार्य भी किया। वह लखनऊ वि वविद्यालय के विधी विभाग में रीडर के पद पर रहे। छोटी उम्र में ही राश्ट्रीयता के आद ार्ो से प्रेरित होकर उन्होंने भारत छोड़े आन्दोलन में सक्रिया भाग लिया और कई बार जेल गये। वह 1952 से 1956 तक तत्कालीन भोपाल स्टेट के मुख्य मंत्री रहे और 1971 तथा 1980 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह 1974 से 1977 तक केन्द्रीय मंत्री रहे और उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों का उतरदायित्व निभाते हुए दे ा के भाासन प्रबन्ध पर अमिट छाप छोड़ी। वह 1984 से 1987 के दौरान आंध्र–प्रदे ा पंजाब तथा महाराश्ट्र के राज्यपाल रहे। वह 1987 से 1992 तक भारत के

उप–राश्ट्रपति रहे। राज्य सभा के सभापति के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका ने उन्हें संसदीय गरिमा और परम्पराओं के ध्वजवाहक के रूप में ख्याति दिलाई। उन्होंने जुलाई 1992 से जुलाई 1997 तक भारत के राश्ट्रपति के उच्च पद को सु ाोभित किया। डॉ0 भार्मा ईमानदारी, मानवता और गांधीवादी विचारधारा की सच्ची प्रतिमूर्ति थे। उनका लम्बा राजनैतिक व प्र ाासनिक जीवन सत्य निश्ठा, कड़ी मेहनत व निः स्वार्थ सेवा भाव से ओत–प्रोत था।

उनके निधन से दे ा एक वि ाश्ट ि ाक्षाविद् प्रखर विद्धान महान् स्वतंत्रता सेनानी, एक योग्य प्र ाासक तथा भारत के महान् सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। मेरे व्यक्तिगत तौर पर उनसे घनिश्ठ सम्बन्ध रहे है। जब वे आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सैक्रेटरी थे उस वक्त मुझे हरियाणा विधान सभा में पदार्पण का अवसर मिला था। 1980 में उनके पड़ोस में मेरे पुजय पिता चौ0 देवी लाल जी एक कोठी में रहते थे, इन नाते भी मेरे उनसे घनिश्ठ सम्बन्ध रहे। जब वे राज्य सभा के सदस्य के तौर पर उस सदन के चेयरमैन थे तब मुझे उनसे बहुत बार मिलने का अवसर मिला था। वे एक महान व्यक्तित्व के मालिक थे। इन्सानियत के नाते उनका मुकाबला करने में बहुत दिक्कत और कठिनाई पे ा आ सकती है। वह दे ा एक महान् सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी नेकी राम के 18 दिसम्बर, 1999 की हुए दुखःद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उसका जन्म 1908 में हुआ। स्नातक की डिग्री पास करने के प चात् उन्होंने 1940 में राजस्व के रूप में अपना व्यवसायिक जीवन भाुरू किया। उन्होंने 1950 में सरकारी पद से त्याग–पत्र देकर सार्वजनिक जीवन भाुरू किया। वह 1968 हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और 1970 से 1972 तक मंत्री रहे। मेरा व्यक्तिगत तौर पर उनसे नजदीक का रि ता था। वे एक महान् विचारधारा के मालिक थे। वि ोश रूप से किसान के प्रति उनके दिल में एक तड़प थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य प्र ाासन और एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन उन वीरों सैनिकों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा तथा दे ा की एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है।

इन महान भाहीदों के नाम इस प्रकार हैः–

1. सी एफ एन (वी एम) प्रवीण कुमार, गांव धनौरी, अम्बाला।

2. राईफल मैन राधे भयाम, गांव बेहरवाला खुर्द, सिरसा।

3. हवलदार सुदान सिंह, गांव सहजावास, गुड़गांव।

4. सिपाही प्रदीप सिंह, गांव मुंढाल खुर्द, भिवानी।

5. राईफल मैन सूरजमल, गांव दुबलधन, झज्जर।

6. सिपाही ल कर सिंह, फरीदाबाद पुलिस।

इसके साथ–साथ दे ा के विभिन्न भागों से सेना, अर्ध–सैनिक तथा पुलिस बलों के वीर–सैनिकों के बलिदान का स्मरण करते हुए हमारा हदय दुःख से भर जाता है परन्तु उन्होंने दे ा को जो गौरव दिलवाया है। हमें उस पर गर्व है। इसके अलावा भी आज दे ा की सीमाओं पर निरन्तर इस प्रकार की झड़पे हो रही है। हरियाणा प्रदे ा की वीर भूमि में पैदा होने वाले जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर दे ा की महानता को बरकरार रखा। यह सदन उन महान् वीरों की भाहादत पर उन्हें भात्– ात् नमन करता है और उनके भाोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 19 फरवरी 2000 को महाराश्ट्र में भूसावाल के नजदीक पंजाब मेल गांडी में लगी आग तथा 3 मार्च, 2000 को पंजाब में सरहिंद के पास एक पर्यटक बस में हुए भाक्ति ााली बम

विस्फोट में मरने वाले लोगों के दु:खद एवं आसामयिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतो के भाोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन उन भाहीदों और उन पुलिस कर्मियों को सच्ची श्रद्धांजली आर्पित करता है जिन्होंने डकैतों व असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए इस प्रदे ा के लोगों की जान–माल की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अध्यक्ष महोदय, यह सदन भारतीय जनता पार्टी के वरिश्ठ नेता स्वर्गीय श्री कृश्ण लाल भार्मा जो हरियाणा का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व भी करते रहे और वे भारतीय जनता पार्टी के वाईस प्रैजीडैट थे, उनके निधन पर भाोक प्रकट करता है और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि आर्पित करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट के आई0 ए0 एस0 औफिसर, श्री सु ीिल कुमार और आई0 पी0 एस0 औफिसर श्री एस0 के0 सेठी के आकस्मिक निधन पर यह सदन संवेदना व्यक्त करता है और भगवान से प्रर्थान करता है कि भगवान उनकी आत्मा को भांति दे। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारे एक डी0 ई0 टी0 सी0 श्री कर्म सिंह के आकस्मिक निधन पर भी यह सदन के एक सम्मनित सदस्य श्री करतार सिंह भडाना के भाई संतोश सिहं भडाना का आकस्मिक निधन हो गया। उनका नाम भाोक प्रस्ताव में दर्ज नहीं हो पाया। यह सदन उनके निधन पर भी उनके परिवार के सदस्यों के प्रति वि ोशतौर से हमारे सम्मनित सदस्य श्री करतार सिंह

भडाना और उनके बड़े भाई अवतार सिंह भडाना के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है। हम भगवान से प्रर्थाना करते है कि उनको इस असहाय दुःख सहाने की भगवान भाक्ति प्रदान करे।

श्री भजन लाल (आदमपूर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जी संसार का नियम है कि संसार में जो इंसान पैदा होता है उसे जाना भी पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति संसार में आकर कुछ करके जाता है उसको संसार दे ा और दे ा के लोग याद रखते है। भारत के भूतपूर्व राश्ट्रपति भांकर दयाल भार्मा भी उन याद रखने वाले व्यक्तियों मं से एक है। अध्यक्ष महोदय, भार्मा जी बहुत ही महान् व्यक्ति थे और बहुत ही उच्च विचार के थे। अध्यक्ष महोदय, 26 दिसम्बर, 1999 को हुए इनके दुःखद निधन पर मै गहरा भाोक प्रकट करता हूं। उसका जन्म 19 अगस्त, 1918 को हुआ। वे असाधरण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत में एम. ए. के अलावा एल. एल. एम. बार–एट लॉ की डिग्रियां और लोक प्र ाासन में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने इसके प चात् कैम्ब्रिज वि वविद्यायल से संवैधानिक विधी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा वहां पढ़ाने का कार्य भी किया। वह लखनऊ वि वविद्यालय के विधी विभाग में रीडर के पद पर रहे। छोटी अम्र में ही राश्ट्रीयता के आद ार्ों से प्रेरित होकर उन्होंने ''भारत छोडे आंदोलन'' से सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये। वह 1952 से 1956 तक तत्कालीन भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे और 1971 तथा 1980 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह 1974 से

1977 तक केन्द्रीय मंत्री रहे और उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों का उतरदायित्व निभाते हुये दे ा के भाासन प्रबन्ध पर अमिट छाप छोड़ी। वह 1984 से 1987 के दौरान आंध्र प्रदे ा, पंजाब तथा महाराट्र के राज्यपाल रहे। वह 1987 से 1992 तक भारत के उप–राश्ट्रपति रहे। राज्य सभा के सभापति के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका ने उन्हे संसदीय गरिमा और परम्पराओं के ध्वजवाहक के रूप में ख्याति दिलाई। उन्होंने जुलाई, 1992 में जुलाई, 1997 तक भारत के राश्ट्रपति के उच्च पद को सु ाोभित किया। डॉ0 भार्मा ईमानदारी, मानवता और गांधीवादी विचारधारा की सच्ची प्रतिमूर्ति थे। उनका लम्बा राजनैतिक व प्र ाासनिक जीवन सत्य निश्ठा, कड़ी मेहनत व निःस्वार्थ सेवा भाव से ओत प्रोत था। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त वे लम्बे समय तक कांग्रेस पार्टी के जनरल सक्रेटरी भी रहे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। उनसे जाति तौर पर भी मेरा बहुत वास्ता रहा है। वे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाये वह कम है। उनके निधन से दे ा एक वि ाश्ट ि ाक्षाविद्, प्रखर विद्धान महान स्वांत्रता सेनानी, एक योग्य प्र ाासन तथा भारत के महान सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। मै अपनी ओर से और अपने दल की और से दिवंगत के भाोंक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति आपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता हूं।

चौधरी नेकी राम हमारे साथ मंत्री रहे और मेरे उनसे बहुत गहरे सम्बन्ध रहे। वे बहुत ही सुलझे हुए इन्सान थे। मै अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी नेकी राम के 18 दिसम्बर, 1999 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 1908 में हुआ। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के प चात् उन्होंने 1940 में राजस्व अधिकारी के रूप में अपना व्यवसायिक जीवन भाुरू किया। उन्होंने 1950 में सरकारी पद से त्याग–पत्र देकर सार्वजनिक जीवन भाुरू कियाह। वह 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए और 1970 से 1972 तक मंत्री रहे। मै भी उस समय 1968 में पहली बार विधानसभा का सदस्य चुन कर आया था।

उनके निधन से राज्य एक योग्य प्र ाासक और एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मै अपनी ओर से ओर अपने दल की ओर से दिवगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मै उन वीर सैनिकों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा दे ा की एकता और अखण्डता के लिये साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की तरफ से अश्रृपूर्ण नमन करता हूं।

उन महान् भाहीदों के नाम इस प्रकार है सी0 एफ0 एन0 (वी0 एम0) प्रवीण कुमार, गांव धनौरी, अम्बाला, राईफल मैन राधे भामाम, गांव बेहरवाला खुर्द, सिरसा, हवलदार सुदान सिंह, गांव सहजावास, गुड़गाव सिपाही प्रदीप सिंह, गांव मुंढाल खुर्द, भिवानी, राईफल मैन सूरजमल, गांव दुबलधन, झज्जर सिपाही ल कर सिंह, फरीदााबार पुलिस इनके साथ–साथ दे ा के विभिन्न भागों से सेना, अर्ध–सैनिक तथा पुलिस बलों के वीर–सैनिकों के बलिदान का स्मरण करते हुए हमारा ह्रदय दुःख से भर जाता है परन्तु उन्होंने दे ा को जो गौरव दिलवाया है हमें उस पर गर्व है। इसके अतिरिक्त और भी दे ा के बहुत बहादुर जवान जो भाहीद हुए, चाहे वे सीमाओं पर भाहीद हुंए, चाहे फौज में लड़ते लड़ते भाहीद हुए। मै उनका स्मरण करते हुए उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मै इन महान वीरों की भाहादता पर इन्हें भात्– ात् नमन करता हूं और इनके भाोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मै 19 फरवरी, 2000 को महाराश्ट्र में भूसावाल के नजदीक पंजाब मेल गाड़ी में लगी आग तथा 3 मार्च, 2000 को पंजाब से सरहिद के पास एक पयैटक बस में हुए भाक्ति ाली बम विस्फोट में मरने वाले लोगों के दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूँ।

मै दिवंगतों के भाोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

जैसा कि अभी श्री ओम प्रका ा चौटाला जी ने बताया कि हमारे हरियाणा के श्री सु ील कुमार, आई0 ए0 एस0 औफिसर और श्री एस0 के0 सेठी0, आई0 पी0 एस0 अधिकारी तथा श्री करतार सिंह भड़ाना के बड़े भाई श्री संतोश का आकस्मिक निधन हो गया है । मै अपनी और से तथा अपनी पार्टी के तरफ से उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धाजंलि आर्पित करता हूं तथा उनके भाोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक सवेंदना प्रकट करता हूं।

कल ही ि ामला के पास बस दुर्घटना में 45 लोगों की मृत्यु हुई है जो कि दुःखदायी है। इसे भी भाोक प्रस्ताव की सूचि में भाामिल कर लिया जाए। मै उनके प्रति भी अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला): ठीक है इसको भी भाोंक प्रस्ताव में भाामिल कर लिया गया है।

श्री कृशण पाल (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, पिछले सै ान और इस सै ान के बीच में कुछ महान विभूतियां हमारे से जुदा हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मै भारत के भूतपूर्व राश्ट्रपति डॉ0 भांकर दलाल भार्मा के 26 दिसम्बर, 1999 को हुए दुःखद निधन पर गहर भाौक प्रकट करता हूं।

उनका जन्म 19 अगस्त, 1918 को हुआ। वह असाधरण प्रतिभा धनी थे। उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत मे एम0 ए0 के अलावा एल0 एल0 एम0 बार –एट लॉ डिग्रीयां और लोक प्र ासन में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने इसक प चात् कैम्ब्रिज वि वविद्यालय के संवैधानिक विधी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा वहां पढ़ाने का कार्य भी किया। वे लखनऊ वि वविद्यालय के विधी विभाग में रीडर के पद पर रहे। छोटी उम्र में ही राश्ट्रीयता का आद र्ों से प्ररित होकर उन्होंनें भारत छोड़ो आन्दोलन मै सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल गये। वह 1952 से 1956 तक तत्कालीन भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे और 1971 तथा 1980 लोक सभा के सदस्य चुने गये। वे 1974 से 1977 तक केन्द्रीय मंत्री रहे और उन्होने महत्वपूर्ण विभागों का उतरदायित्व निभाते हुए दे ा की भाासन प्रबन्ध पर अमिट छाप छोड़ो। वे 1984 से 1987 के दौरान आंध्र प्रदे ा, पंजाब तथा महाराश्ट्र के राज्यपाल रहे। वह 1987 से 1992 तक भारत के उप–राश्ट्रपति रहे। राज्य सभा के सभापति के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका ने उन्हें संसदीय गरिमा और परम्पराओं के ध्वजवाहक के रूप से ख्याति दिलाई। उन्होंने जुलाई, 1992 से जुलाई, 1997 तक भारत के राश्ट्रपति के उच्च पद की सु ाोभित किया। डॉ0 भार्मा ईमानदारी, मानवता और गांधीवादी विचारधारा की सच्ची प्रतिभूति थे। उनका लम्बा राजनैतिक व प्र ासनिक जीवन सत्य निश्ठा, कड़ी मेहनत व निः स्वार्थ सेवा भाव से ओत–प्रोत था

उनके निधन से दे ा के वि िश्ट ि ाक्षाविद् प्रखर विद्वान महान स्वंतत्रता सेनानी, एक योग्य प्र ाासक तथा भारत के महान सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। मै दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दीक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मै अपनी पार्टी व अपनी तरफ स उन वीर सैनिकों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा तथा दे ा की एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं। इन महान भाहीदों के नाम इस प्रकार है। 1. सी. एफ. एन. (वी. एम.) प्रवीण कुमार, गांव धनौरी, अम्बाला, 2. राईफल मैन राधे भयाम, गांव बेहरवाला खुर्द, सिरसा, 3. हवलदार सुदान सिंह, गांव सहजावास, गुड़गांव, 4. सिपाही प्रदीप सिंह, गांव मुढांल खुर्द, भिवानी, 5. राईफल मैन सूरजमल, गांव दुबलधन, झज्जर तथा 6. सिपाही ल कर सिंह, फरीदाबाद पुलिस।

इसके साथ–साथ दे ा के विभिन्न भागों से सेना, अर्ध–सैनिक तथा पुलिस बलों के वीर–सैनिकों के बलिदान का स्मरण करते हुए हमारा ह्रदय दु:ख से भर जाता है। परन्तु उन्होंने दे ा को जो गौरव दिलवाया है हमें उस पर गर्व है।

मै इन महान् वीरों की भाहादत पर इन्हें भात्– ात् नमन करता हूं और इसके भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मै अपनी पार्टी की तरफ से व अपनी तरफ से 19 फरवरी, 2000 को महाराश्ट्र में भूसावाल के नजदीक पंजाब मेल गाड़ी में लगी आग या 3 मार्च, 2000 को पंजाब मे सरहिंद के पास एक पर्यटक बस में हुए भाक्ति ाली बम विस्फोट में मरने वाले लोगों के दु:खद एवं असामयिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हू।

मै दिवंगतों के भाोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उपाध्यक्ष के पद पर रहे श्री कृश्णलाल भार्मा जो पार्लियामेंट मै मैम्बर भी रहे और मंत्री भी रहे है, का भी निधन पिछले दिनौं हो गया है। वे भारतीय जनता भी रहे और मंत्री भी रहे है, का भी निधन पिछले दिनों हो गया है। वे भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। राजनीति में रह कर भी एक साधु प्रवृति के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन पर अविवाहित रह कर पार्टी की सेवा में अपना पूरा जीवन बिताया। उन्होंने कभी भी अपने परिवार के प्रति ध्यान नही दिया, वे हमे ाा ही अपनी पार्टी के लिए कार्य करते रहे। आज ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में नही रही है उनके दु:खद निधन पर हम भाोक प्रकट करते है और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के साथी श्री करतार सिंह भडाना जी बड़े भाई श्री संतोश जी का आकस्मिक निधन हो गया है। मै अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस आघात को सहन करने की भाक्ति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, मै श्री सु ील कुमार, आई. ए. एस. औफिसर और श्री एस. के. सेठी, आई. पी. एस. औफिसर के निधन पर भी भाोक प्रकट करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह (हसनगढ़): अध्यक्ष महोदय, भाोक प्रस्ताव संख्या 3 में जिन भाहीदों का वर्णन किया गया है उस बारे में मेरा सरकार से निवेदन है कि इस सूची में श्री महेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल, बी. एस0 एफ. का नाम जो इस्माइला गांव का था, वह भी भाहीद हुआ है, उसका नाम भी इसमें भाामिल कर लिया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रका ा चौटाला) ठीक है इनका नाम भी इस सूची में भाामिल कर लिया जाए।

श्री बंसी लाल (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव रखा है मैं उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पिछले सै ान से अब तक के सै ान तक हमारे कई साथी हमैं छोड़ कर चल गए है जिनमें से खासतौर पर डॉ. भांकर दयाल भार्मा जी भारत के भूतपूर्व राश्ट्रपति थे। डॉ. भांकर

दयाल भार्मा जी का निधन 26 दिसम्बर, 1999 को हुआ था। उनका जन्म 19 अगस्त, 1918 को हुआ। उन्होंने कैम्ब्रिज वि ववविद्यालय से सवैधानिक विधी से उच्च ि ाक्षा प्राप्त की और बार–एट–लॉ करके वहीं पर पढ़ाने लग गए। उसके बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में रीडर के पद पर भी कार्य किया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिया भाग लिया और कई बार जेल गये। वे 1952 से 1956 तक उस वक्त भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे। वे 1974 से 1977 तक वे केन्द्रीय मंत्री रहे और अपना उतरदायित्व कई मंत्रालयों में निभाते रहे। 1984 से 1987 तक आंध्र प्रदे ा, पंजाब तथा महाराश्ट्र के राज्यपाल रहे और उसके बाद वे उप–राश्ट्रपति बन गए। वर्श 1992 मे वे भारत के राश्ट्रपति चुने गए। डॉ0 भांकर दयाल भार्मा जी एक महान व्यक्ति थे। वे भील स्वभाव, ईमानदार सच्चे और त्याग की मूर्ति थे। उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही थोड़ा है। उनके बारे में मैं ज्यादा न कह कर इतना ही कहूंगा कि उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत लौस हुआ है। करीब 25 साल तक मरे उनके साथ घनिश्ठ सम्बन्ध रहे। उनके परिवार के प्रति मै भी अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं चौधरी नेकी राम जी हमारे भूतपूर्व सदस्य चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी के पिता थे और चौधरी नेकी राम स्वयं भी इस महान सदन के सदस्य तथा मेरी सरकार में मंत्री भी रहे। वे बहुत ही ईमानदार, लग्न ाील और सच्चे व्यक्ति थे। उनके परिवार के प्रति भी मै अपनी सवेदना प्रकट करता हू। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के भाहीद, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तथा दे ा की

एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं। इन भाहीदों का ब्यौरा इस प्रकार है। सी. एफ. एन. (वी. एम.) प्रवीण कुमार, गांव धनौरी (अम्बाला), राईफल मैन राधे भयाम, गांव बेहरवाला खुर्द, (सिरसा), हवलदार सुदान सिंह, गांव सहजावास, गुड़गांव सिपाही प्रदीप सिंह, गांव मुंढाल खुर्द (भिवानी), राईफल मैन सूरजमल, गांव दुबलधन, झज्जर, तथा सिपाही ल कर सिंह, फरीदाबाद, पुलिस। मै इन भाहीदों के परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही महाराश्ट्र में भूसावाल के नजदीक जो रेल दुर्घटना हुई उसमें मरे लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इसके साथ ही मै श्री के. एल. भार्मा जी कि बी. जे. पी. के उपाध्यक्ष रहे उनके निधन पर भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। मै हरियाणा के दो अधिकारी श्री सु ील कुमार, आई. ए. एस. तथा श्री एस. के. सेठी, डी. जी. पी. की मृत्यु पर भी भाोक प्रकट करता हूं तथा उनके परिवारों के प्रति भी मै सांवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मै इस भाोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। पिछले अधिवे ान के खत्म होने के बाद और इस अधिवे ान के बीच के समय में हमारे बीच से कई महान् विभूतीयां चली गई है। मै भांकर दयाल भार्मा जी के 26 दिसम्बर, 1999 को दुःखद निधन

पर गहरा भाोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 19 अगस्त, 1918 को हुआ था। वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत में एम. ए. के अलावा एल. एल. एम. बार–एट लॉ की डिग्रीयॉ और लोक प्र ाासन में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने इसके प चात कैम्ब्रिज वि विद्यायल से संवैधानिक विधी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा वहां पढने का कार्य भी किया। वे लखनऊ वि ववविद्यालय की विधी विभाग में रीडर के पद पर भी रहे। छोटी उम्र में ही राश्ट्रीयता के आद ाों से प्रेरित होकर उन्होंने ''भारत छोड़ो अन्दोलन'' में सक्रिया भाग लिया और कई बार जेल गये। वे 1962 से 1956 तक तत्कालीन भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे और 1971 तथा 1980 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे 1974 से 1977 तक केन्द्रीय मंत्री रहे और इन्होंने महत्वपूर्ण विभागों का उतरदायित्व निभाते हुए दे ा के भाासन प्रबन्ध पर अमिट छाप छोड़ी के 1984 से 1987 के दौरान आंध्र प्रदे ा, पंजाब तथा महाराट्र के राज्यपाल रहे। वे 1987 से 1992 तक भारत के उप–राश्ट्रपति रहे। राज्य सभा के सभापति के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका ने उन्हें संसदीय गरिमा और परम्पराओं के ध्वजवाहक के रूप में ख्याति दिखाई। उन्होंने जुलाई 1992 से जुलाई 1997 तक भारत के राश्ट्रपति के उच्च पद को सु ाोभित किया। डॉ0 भार्मा ईमादारी, मानवता और गांदीवादी विचारधारा क सच्ची प्रतिमूर्ति थे। उनका लम्बा राजनैतिक व प्र ाासनिक जीवन सत्य–निश्ठा, कड़ी मेहनत व निःस्वार्थ सेवा भाव से ओत–प्रोत था।

उनके निधन से दे ा एक वि ि ाश्ट ि ाक्षाविद, प्रखर विद्वान, महान स्वांतत्रता सेनानी, एक योग्य प्र ाासन तथा भारत के महान सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। मै दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मै हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी नेकी राम के 18 दिसम्बर, 1999 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म 1908 में हुआ था। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने प चात उन्होंने 1940 मे राज्यस्व अधिकारी के रूप में अपना व्यवसायिक जीवन भाुरू किया था। उन्होंने 1950 में सरकारी पद से त्याग पत्र देकर सार्वजनिक जीवन भाुरू किया। वे 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए और 1970 से 1972 तक मंत्री रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य प्र ाासक और एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मै उन वीर सैनिकों, जिन्हौंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तथा दे ा की एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं। इन महान भाहीदों के नाम इस प्रकार हैः– सी. एफ. एन. (वी. एम.) प्रवीण कुमार, गांव धनौरी, अम्बाला, राईफल मैन राधे भयाम, गांव बेहरवाला खुर्द,

सिरसा हवलदार सुदान सिंह, गांव सहजावास, गुड़गांव सिपाही प्रदीप ल कर सिंह, फरीदाबाद पुलिस। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा श्री के. एल. भार्मा जी जो कि बी. जे. पी. के वरिश्ठ नेता थे और बहुत बड़े दे ा–भक्त थे। मैंने उनको बहुत ही नजदीक से देखा है। उन्होंने बाहरी दिल्ली से लोक सभा का चुनाव लड़ा थां। अध्यक्ष महोदय, आज यहां पैसे का बोल बाला है। राजनैतिक पार्टियां पैसे के चक्र में अपना सब कुछ गंवा देती है। जब उन्होंने वह चुनाव लड़ा था तो उनके पास लाखों रूपये की राि ा बच गई थी तो उन्होंने वह सारे का सारा पैसा अपनी पार्टी के कार्यलय में वापिस कर दिया। अध्यक्ष महोदय, वे एक सच्चे दे ा भक्त थे लेकिन आज वे हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनके प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसी तरह से श्री सु ाील कुमार जी, श्री एस. के. सेठी जी और हमारे सम्मानित साथी श्री करतार सिंह भडाना के भाई श्री संतोश भडाना जी के भी दु:खद निधन पर भाोक प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री जगजीत सिंह सांगवान (दादरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस क्षेत्र के बीच में जो काफी लोग स्वर्ग सिधार गये है उनके बारे में मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिवारों के लिये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह उनको वह दुख सहन करने की भाक्ति प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, मै भारत के पूर्व राश्ट्रपति डॉ. भांकर

दयाल भार्मा के 26 दिसम्बर, 1999 को हुये दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट हूं।

उनका जन्म 19 अगस्त, 1918 को हुआ। वे असाधारण के धनी थे। उन्होंने अंगेजी, हिन्दी और संस्कृत में एम. के अलावा एल. एल. एम. बार–एट–लॉ की डिग्रीयां और लोक प्र ाासन में डिप्लोमा प्राप्त किया। उन्होंने इसके प चात कैम्ब्रिज वि वविद्यालय से सवैधनिंक विधी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा वहां पढ़ाने का कार्य भी किया वे लखनऊ वि वविद्यालय की विधी विभाग में रीडर के पद पर भी रहे। छोटी उम्र में ही राश्ट्रीयता के आद र्ाों से प्रेरित होकर उन्होंने ''भारत छोड़ो अन्दोलन'' में सक्रिया भाग लिया और कई बार जेल गये। वे 1962 से 1956 तक तत्कालीन भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे और 1971 तथा 1980 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वे 1974 से 1977 तक केन्द्रीय मंत्री रहे और उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों का उतरदायित्व निभाते हुए दे ा के भाासन प्रबन्ध पर अमिट छाप छोड़ी के 1984 से 1987 के दौरान आंध्र प्रदे ा, पंजाब तथा महाराट्र के राज्यपाल रहे। वे 1987 से 1992 तक भारत के उप–राश्ट्रपति रहे। राज्य सभा के सभापति के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका ने उन्हें संसदीय गरिमा और परम्पराओं के ध्वजवाहक के रूप में ख्याति दिखाई। उन्होंने जुलाई 1992 से जुलाई 1997 तक भारत के राश्ट्रपति के उच्च पद को सु ाोभित किया। डॉ0 भार्मा ईमादारी, मानवता और गांदीवादी विचारधारा क

सच्ची प्रतिमूर्ति थे। उनका लम्बा राजनैतिक व प्र ाासनिक जीवन सत्य–निश्ठा, कड़ी मेहनत व निःस्वार्थ सेवा भाव से ओत–प्रोत था।

उनके निधन से दे ा एक वि ाश्ट ि ाक्षाविद, प्रखर विद्धान, महान स्वांतत्रता सेनानी, एक योग्य प्र ाासन तथा भारत के महान सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। मै दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मै हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी नेकी राम के 18 दिसम्बर, 1999 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूें। उनका जन्म 1908 में हुआ था। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने प चात उन्होंने 1940 मे राज्यस्व अधिकारी के रूप में अपना व्यवसायिक जीवन भाुरू किया था। उन्होंने 1950 में सरकारी पद से त्याग पत्र देकर सार्वजनिक जीवन भाुरू किया। वे 1968 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गए और 1970 से 1972 तक मंत्री रहे।

उनके निधन से राज्य एक योग्य प्र ाासन और एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मै दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मै उन वीर सैनिकों, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तथा दे ा की एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, को आपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं। इन महान भाहीदों के नाम इस प्रकार हैः– सी. एफ. एन. (वी. एम.) प्रवीण कुमार, गांव धनौरी अम्बाला राईफल मैन राधे भयाम, गांव बेहरवाला खुर्द, (सिरसा), हवलदार सुदान सिंह, गांव सहजावास, गुड़गांव सिपाही प्रदीप सिंह, गांव मुंढाल खुर्द भिवानी राईफल मैन सूरजमल, गांव दुबलधन, झज्जर, तथा सिपाही ल कर सिंह, फरीदाबाद व इनके साथ–साथ दे ा के विभिन्न भागों से सेना, अर्धसैनिक तथा पुलिस बलों के वीर सैनिकों के बलिदान का सम्मरण करते हुये हमारा ह्रदय दुख से भर जाता है परन्तु उन्होंने दे ा को जो गौरव दिलाया है हमें उस पर गर्व है।

मै अपनी तरफ से व अपने दल की तरफ से इन महान वीर भाहीदों की भाहादत पर भात्– ात् नमन करता हूं तथा इनके परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला (बल्लभगढ़): अध्यक्ष महोदय, मै अपनी तरफ से व समस्त हमारे जो साथी हमसे जुड़े हुए है उन सभी की भावनाओं को, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव पे ा किया है, उनके साथ जोड़ता हूं और परमापिता परमात्मा से निवेदन करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान

दें और जो भाोक संतप्त परिवार है उन तक हमारी भावनाएं सदन के माध्यम से पहुंचा दी जाए।

श्री बि ान सिंह सैनी (जगाधरी): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव पे ा किया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं और जो दिवंगत आत्माएं हमारे बीच से गई है उनके प्रति व उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष: मानीय सदस्यगण, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव हाउस में रखा है और दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जो विचार प्रकट किए हैं मै भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं। पिछले सै ान और इस सै ान के बीच में हमारे बीच में से बहुत सी महान विभूतियां इस संसार से चली गई है। सबसे पहले मैं भारत के भूतपूर्व राश्ट्रपति डॉ. भांकर दयाल भार्मा जी का जिक्र करना चाहूॅगा। वे 26 दिसम्बर, 1999 को हमारे बीच नही रहे। डॉ. साहब हमारे दे ा की महान विभूतियों में से एक थे वे भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे। केन्द्र में मंत्री रहे। वे दे ा के उप–राश्ट्रपति व राश्ट्रपति रहे। वे बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने एम. ए., एल. एल. एम. तक की ि ाक्षा प्राप्त की। उनको दे ा की सभी मुख्य भाशाओं हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी का ज्ञान था। डाक्टरेट की उपाधि से भी उनको सम्मानित किया गया था। दे ा भाक्ति की भावना उनमें कृट–कूट कर भरी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में

उन्होंने सक्रिया रूप से भाग लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में वे कई बार जेल भी गए और उनेकों प्रकार की यातनाएं सहीं। वे केन्द्रीय मंत्री भी रहे और पंजाब व महाराश्ट्र प्रदे ा के राज्यपाल भी रहे। वे अपनी ईमानदारी, मानवता और गांधीवादी विचारों के लिए म ाहूर रहे। उनके निधन से दे ा एक बहुत बड़े स्वंतत्रता सेनानी, विद्धान, योग्य प्र ाासक और दे ा भक्त से वंचित हो गया है।

चौधरी नेकी राम जी 1968 में विधान सभा के सदस्य बने। 1970 में जब हम कालेज में पढ़ते थे तो उनको एक बार हमारे गांव में आने का मौका मिला था हमने उस समय उनको देखा था वह बहुत अच्छा बोलते थे। वे बहुत साफ छवि के इन्सान थे। उनका निधन होने के हरियाणा प्रदे ा एक योग्य विधायक और अनुभवी प्र ाासन की सेवओं से वचिंत हो गया। मुझे उन वीर सैनिकों की असामयिक भााहदात से बहुत दुख है। इन वीर सैनिकों ने दे ा की एकता और अखण्डता को बनाये रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए ऐसे भाहीदों की वजह से ही आज हमारे दे ा की आजादी बरकरार है और हमारा दे ा सुरक्षित है। उन भाहीदों के लिए मै धन–धन करता हूं। उनके परिवारों को जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को पैदा किया, को मै दण्डक्त प्रणाम करता हूं। इसके अलावा 19 फरवारी, 2000 को महाराश्ट्र में भूसावल के नजदीक पंजाब मेल रेलगाड़ी में लगी आग और 3 मार्च, 2000 को पंजाब में सरसिंह के पास एक पर्यटक

बस में हुये भाक्ति ााली बम विस्फोट में मरने वाले लोगों के दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हूं। हमारे साथी विधायक श्री करतार सिंह भडाना के भाई जिनका इलैक ान के दौरान अचानक निधन हो गया और वे हमारे बीच में नही रहे। हमारे साथी विधायक को इलैक ान के दौरान अपने भाई के चले जाने का बहुत दु:ख हुआ और हमारे प्रदे ा को इससे बड़ी भारी नुक्सान हुआ। वे बड़े अच्छे और सादे इन्सान थे। उनके असामयिक निधन पर मै गहर भाौक प्रकट करता हूं। श्री के. एल. भार्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के मैम्बर थे। मुझे उनके साथ एक–दो बार सफर करने का मौका मिला। बहुत सीधे–सादे और सरल किस्म के इन्सान थे उनके निधन से दे ा एक बड़े दे ा भक्त और सुयोग्य इन्सान से वंचित हो गया है। वे आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन से इस सदन को बड़ा गहरा दुख हुआ है। इसके अलावा श्री सु ील कुमार, आई. ए. एस, श्री एस. के. सेठी, आई. पी. एस. और श्री कर्ण सिह, डी. ई. टी. सी. के निधन से इस प्रदे ा को बड़ा भारी दु:ख हुआ है। श्री सन्तोश सिंह और ि ामला के पास एक बस दुर्घटना में मरने वाले कई भाईयों के परिवारों के प्रति यह सदन हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। आज ऐसे कई भाहरी हमारे बीच में नही रहे उनका नाम इस भाोक प्रस्ताव में जोड़ दिया गया है। श्री बलवन्त सिंह मायना ने जो नाम बताया था वह भी इस भाोक प्रस्ताव में भाामिल कर लिया गया है। मै परमापिता परमात्मा से दिवंगत आत्माओं को भाान्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं

और उन भााक–संतप्त परिवारों तक इस सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी और दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करूंगा।

(इस समय सदन ने सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

(I) नियम 30 के निलम्ब संबंधी

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121 suspend Rule-30

Finance Minister (Shri Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That rule 30 of the of the Rules of Parocedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assmbly be suspended in its appication to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 9th March, 2000 (Second Sittting).

Sir, I also beg to move-

That rule 30 of the of the Rules of Parocedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assmbly be suspended in its appication to the motion regarding the

transaction of Government business on Thursday, the 9th March, 2000 (Second Sittting).

Mr. Speaker: Motion moved-

That rule 30 of the of the Rules of Parocedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assmbly be suspended in its appication to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 9th March, 2000 (Second Sittting).

and

That rule 30 of the of the Rules of Parocedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assmbly be suspended in its appication to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 9th March, 2000 (Second Sittting).

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, माननीय सम्पत सिंह जी ने नान ओफि ायल डे को आोफि ायल डे में कंवर्ट करने का प्रस्ताव रखा है, मै कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा के बहुत विधायकगण पहली बार आए हैं और वे अपनी–अपनी बात कहना चाहते है। पिछले विधानसभा सत्र में भी मैंने देखा कि जिस दिन भी नान ओफि ाययल डे होता था, उसको ओफि ायल डे में कंवर्ट कर दिया जाता था। नए सदस्य अपनी–अपनी बात कहना चाहते है, ऐसे कितने महत्व के विशय है जिन पर चर्चा होनी जरूरी है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि

नान ओफि ायल डे को ओफि ायल डे कंवर्ट नही करना चाहिए।

श्री सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि आज सुबह से ही आोफि ायल डे चल रहा है। दलाल साहब बन गए है, आपको तो इस बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि नान ओफि ायल बिजनैस हो तो नान आोफि ायल बिजनैस नही है क्यौंकि वास्तव में आज ही हम सब मैम्बर बने है इसलिए इससे पहले वे कोई नान ओफि ायल बिजनैस दे भी नही सकते थे। इन मैम्बर्ज की तरफ से इस बारे में कोई रैजोल्यू ान आ भी नही सकता था। आज जब कई नान ओफि ायल विजनैस पैण्डिंग है ही नही तो इसको औफि ायल डे मै कंवर्ट तो करना ही पड़ेगा।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मैने आपकी सेवा में दो नान–औफि ायला रैजोल्यू ान भेजे है। (ोर)

श्री अध्यक्षः हम उन रैजोल्यू ान को एग्जामिन कर लेंगे। क्योंकि आज नान औफि ायल कार्य ही नही था इसलिए इसे औफि ायल डे को औफि ायल डे में कंवर्ट करना पड़ा।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, मेरा आपसे निवेदन है कि यह सदन की परम्परा नही बननी चाहिए कि नान–ओफि ायल डे को ओफि ायल ड में कंवर्ट कर दे।

नगर एवं आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): स्पीकर सर, जैसा कि अभि सम्पत सिंह जी ने बताया और मै भी इनको

अवगत कराना चाहता हूं कि मीटिंग में विरोधी पक्ष के चौ0 भजन लाल थे, बिसला जी थे। हम सब ने खूब विचार करने के बाद यह तय किया कि चूंकि आज ही सभी सदस्यों ने विधायक के तौर पर ओथ ली है और ये आज से ही मैम्बर हुए है, इसलिए नान ओफि ायल कार्य कोई नही है। हमारी पार्टी और हमारे नेता और स्पीकर साहब का बड़प्पन देखें कि इतने भाोर्ट नोटिस पर स्पीकर साहब ने नान ओफि ायल डे को ओफि ायल डे में कंवर्ट करने की इजाजत दे दी। इन को तो इस बात की प्र ांसा करनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, यदि इन्होंने कोई प्रस्ताव मूव करना है तो उसके लिए समय निर्धारित है। रूल्ज की किताब को पढ़कर इनको नोटिस देना चाएिह फिर नोटिस स्वीकार होगा और उस पर चर्चा होगी।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर सर, यहां तीन अलग–अलग राजनीतिक पार्टियों के नुमाइन्दे बैठे हैं और ये तीनों राश्ट्रीय पार्टियां है। ये तीन ऐसी राश्ट्रीय पार्टियां है जिनका पूरे दे ा के अन्दर आस्तित्व है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता ने राश्ट्रीय पार्टियों से हम तीनों को चुनकर इसलिए भेजा है कि हम यहां उन लोगों की समस्याओं को यहां पर उठायेंगे और उसकी सेवा कर सकें। अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा आपसे निवेदन है कि बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में हमारा एक नुमाईदा होना चाहिए। हम अपनी तरफ से किसी भी एक सदस्य का नाम आपको बता देंगे। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से दो बार विधान सभा का सदस्य चुनकर आये माननीय साथी कर्ण सिंह दलाल जी को बताना चाहूंगा कि रूल–30 में स्पशट रूप से लिखा हुआ है। कि नॉन आफि ायल डे को आफि ायल डे में कनवर्ट किया जा सकता है। ऐसा पहले भी होता रहा है अब यह कोई नई परम्परा नहीं डल रही है। (ोर)

डा0 जय प्रका ा भार्मा (यमुनानगर): अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य राश्ट्रीय पार्टियों से चुनाव जीतकर आये है, उन्हें भी बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में भाामिल किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: सभी पार्टियों के सदस्यों को भाामिल नही किया जा सकता क्योंकि उनके सदस्यों की संख्या बहुत कम है।

Question is-

That rule 30 of the of the Rules of Parocedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assmbly be suspended in its appication to the motion regarding the transaction of Government business on Thursday, the 9th March, 2000 (Second Sittting).

and

That rule 30 of the of the Rules of Parocedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assmbly be suspended Government business on Thursday, the 9th March, 2000 (Second Sittting).

The motion was carried.

(II) नियम 231, 233, 235, और 270 के निलम्बन संबंधी

Mr. Speaker: Now, the parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 121 to suspend rule 231, 233, 235 and 270.

Finance Minister (Shri Sampat Singh): Sir, I beg to Move-

That the Provisions of rule 231,233, 235, and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Buisiness in the Haryana Legislative Assembly in-so far as they relate to the Constitution of the

(i) Committee of Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backwerd Classes,

for the remaining prerod of the year 1999-2000 in respect of Committtle on Estimates and for the year 2000-2001 in respect of all four elected Committees including the Committee on estimates

be suspended

Sir, I beg to move-

That this House authories the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Mimbers of the Esitmates Committee for the remaining period of the year 1999-2000 and all members of the aforesaid Committees for the year 2000-2001, Keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Provisions of rule 231,233, 235, and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Buisiness in the Haryana Legislative Assembly in-so far as they relate to the Constitution of the

(i) Committee of Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backwerd Classes,

for the remaining prerod of the year 1999-2000 in respect of Committtle on Estimates and for the year 2000-2001 in respect of all four elected Committees including the Committee on estimates

be suspended

and

That this House authories the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Mimbers of the Esitmates Committee for the remaining period of the year 1999-2000 and

all members of the aforesaid Committees for the year 2000-2001, Keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker: Question is-

That the Provisions of rule 231,233, 235, and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Buisiness in the Haryana Legislative Assembly in-so far as they relate to the Constitution of the

(i) Committee of Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backwerd Classes,

for the remaining prerod of the year 1999-2000 in respect of Committtle on Estimates and for the year 2000-2001 in respect of all four elected Committees including the Committee on estimates

be suspended

and

That this House authories the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Mimbers of the Esitmates Committee for the remaining period of the year 1999-2000 and all members of the aforesaid Committees for the year 2000-2001, Keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

The Motion was carried.

सदन की मेज पर रखे/पुनः रखे गए कागज–पत्र

Mr. Speaker: Now, a Minister will lay/re lay papers on the Table of the House.

Finace Minister (Shri Sampat Singh): Sir, I beg to lay on the Talbe-

The Haryana Panchayati Raj (Third Amenment) Ordinace, 1999 (Haryana Ordinace No. 7 of 1999)

The Haryana Municipal (Third Amenment) Ordinace, 1999 (Haryana Ordinace No. 8 of 1999)

The Haryana Municipal Corporation (Third Amenment) Ordinace, 1999 (Haryana Ordinace No. 9 of 1999)

The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Ordinace, 2000 (Haryana Ordinace No.1 of 2000)

The Haryana General Sales Tax (Amendment) Ordinace, 2000 (Haryana Ordinace No. 2 of 2000)

The Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinace, 2000 (Haryana Ordinace No. 3 of 2000)

Sir, I also beg to re-lay on the Table-

The Power Department Notification No S. O. 106/H.A. 10/98/S/ 23,24,25/98, dated the 14th August, 1998 as requered under Section 55(3) of the Haryana Electricty Reform Act, 1997,

The Power Department Notification No S. O. 106/H.A. 10/98/S/ 55/98, dated the 16th August, 1998 as requered under Section 55(3) of the Haryana Electricty Reform Act, 1997,

The Prohibition, Excise & Taxtion Department notification No. G.S.R. 35/H.A. 20/73/S.64/99, dated 31st March, 1999 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment)Rules, 1999, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise & Taxtion Department notification No. G.S.R. 47/H.A. 20/73/S.64/99, dated 18st May, 1999 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment)Rules, 1999, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Power Department Notification No S. O. 156/H.A. 10/98/Ss/ 23,24,25/and 55/99, dated the 1th July, 1998 as requered under Section 55(3) of the Haryana Electricty Reform Act, 1997,

The General Admistration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 70/Const/Art. 320/Amd.(1)/99. dated the 2nd July, 1999 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1999 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Power Department Notification No S.O.186/H.A. 10/98/Ss/ 23,24,25 and 55/99, dated the 13th August, 1998 as requered under Section 55(3) of the Haryana Electricty Reform Act, 1997,

The Power Department Notification No S.O.213/H.A. 10/98/Ss/ 23,24,25 and 55/99, dated the 18th October, 1998 as requered under Section 55(3) of the Haryana Electricty Reform Act, 1997,

Sir, I also beg to lay on the talbe-

The Power Department Notification No S.O.235/H.A. 10/1998/S/ 23,24,25 and 55/99, dated the 15th November, 1998 as requered under Section 55(3) of the Haryana Electricty Reform Act, 1997,

The Power Department Notification No S.O.244/H.A. 10/1998/S. 23,24,25 and 55/99, dated the 30th November, 1998 as requered under Section 55(3) of the Haryana Electricty Reform Act, 1997,

The Local Government Department No.G.S.R. 42/H.A./16/1994/S67/98 dated the 30th September, 1998 regarding the Haryana Municipal Corporation Employees (Recruitment and Conditions) Service Rules, 1998 as required under Section 390(2) of the Haryana Municipal Act, 1994.

Mr. Speaker: Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 10th March, 2000.

17.19 Hrs.

(The Sabha then adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 10th March, 2000)